2022

लोक सभा उत्तर

बजट सत्र, 2022, [सत्रहवीं लोक सभा का 8वां सत्र] [प्रथम भाग- 31 जनवरी, 2022 से 11 फरवरी, 2022]

विषय सूची

क्रं.सं.	प्रश्न संख्या	प्रश्न का प्रकार	दिनांक	विषय	अनुभाग/प्रभाग	पृष्ठ संख्या
1.	478	अतारांकित	04.02.2022	न्यायाधीशों की नियुक्ति	एनएम	1
2.	479	अतारांकित	04.02.2022	वर्चुअल कोर्ट	ई-कोर्ट्स	5
3.	481	अतारांकित	04.02.2022	ई-लोक अदालतें	ई-कोर्ट्स	10
4.	512	अतारांकित	04.02.2022	राजस्थान और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्तियाँ	नियुक्ति अनुभाग	16
5.	527	अतारांकित	04.02.2022	लॉ इंटर्न्स का टेली-लॉ स्कीम के तहत नियोजन	ए2जे/एलएपी	19
6.	538	अतारांकित	04.02.2022	ग्राम न्यायालय	जेआर डेस्क	21
7.	547	अतारांकित	04.02.2022	मुंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त पीठ	नियुक्ति अनुभाग	23
8.	550	अतारांकित	04.02.2022	उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियाँ	नियुक्ति अनुभाग	24
9.	559	अतारांकित	04.02.2022	नि:शुल्क विधिक सहायता	ए2जे/एलएपी	26
10.	567	अतारांकित	04.02.2022	टेली-लॉ योजना	ए2जे/एलएपी	29
11.	569	अतारांकित	04.02.2022	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा	नियुक्ति अनुभाग	30
12.	571	अतारांकित	04.02.2022	ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना	ई-कोर्ट्स	32
13.	609	अतारांकित	04.02.2022	ई-कोर्ट मिशन	ई-कोर्ट्स	35
14.	633	अतारांकित	04.02.2022	विधिक सहायता प्राधिकरण	ए2जे/एलएपी	37
15.	634	अतारांकित	04.02.2022	न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण	नियुक्ति अनुभाग	41
16.	640	अतारांकित	04.02.2022	भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मामले	एनएम	42
17.	643	अतारांकित	04.02.2022	न्यायाधीशों की भर्ती	नियुक्ति अनुभाग	43
18.	660	अतारांकित	04.02.2022	त्वरित न्यायालय	न्याय-II	45
19.	667	अतारांकित	04.02.2022	कानूनी क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व	एनएम	49
20.	***151**	**तारांकित**	**11.02.2022**	**कोविड-19 के कारण न्यायिक निर्णयों में विलंब**	**ए2जे/एलएपी**	51
21.	***159**	**तारांकित**	**11.02.2022**	**न्यायिक प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग**	**ई-कोर्ट**	57
22.	1619	अतारांकित	11.02.2022	न्याय प्रदायगी	समन्वयन अनुभाग	62
23.	1661	अतारांकित	11.02.2022	उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय बेंच	नियुक्ति अनुभाग	69
24.	1678	अतारांकित	11.02.2022	उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद	नियुक्ति अनुभाग	71
25.	1683	अतारांकित	11.02.2022	न्यायिक अवसंरचना की स्थिति	जेआर डेस्क	74
26.	1695	अतारांकित	11.02.2022	ई-लोक अदालतें	ए2जे/एलएपी	76
27.	1710	अतारांकित	11.02.2022	सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम	नियुक्ति अनुभाग	79
28.	1717	अतारांकित	11.02.2022	बलात्कार और पोक्सो मामलों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट	न्याय-II	81

29.	1721	अतारांकित	11.02.2022	ई-कोर्ट प्रोजेक्ट की प्रक्रिया	ई-कोर्ट	84
30.	1744	अतारांकित	11.02.2022	न्यायालयों में लंबित मामले	एनएम	89
31.	1745	अतारांकित	11.02.2022	राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस	ए2जे/एलएपी	99
32.	1757	अतारांकित	11.02.2022	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले	एनएम	101
33.	1761	अतारांकित	11.02.2022	न्यायिक विलंब	एनएम	109
34.	1776	अतारांकित	11.02.2022	कार्यशील ई-कोर्ट	ई-कोर्ट्स	111
35.	1833	अतारांकित	11.02.2022	न्याय मित्र	ए2जे/एलएपी	115
36.	1836	अतारांकित	11.02.2022	फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट	न्याय-II	117

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 478

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति

478. **श्री अरविंद धर्मापुरी :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में कतिपय संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले दस वर्षों के दौरान न्यायालय-वार और वर्ष-वार कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत पद संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 (मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर) करने के लिए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन किया गया था । उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019, तारीख 09.08.2019 को प्रवृत्त हुआ था । तारीख 07.04.2013 को आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया था । तदनुसार, सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों, संबद्ध उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से तारीख 01.07.2014 से 31.01.2022 तक की अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की पद संख्या को 906 से

बढ़ाकर 1098 कर दिया है अर्थात् 192 पद बढ़ा दिए हैं । उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और उनका अनुमोदन अपेक्षित होता है, रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन तथा न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि, के कारण उद्भूत होती रहती है । सरकार रिक्तियों को समयबद्ध रीति में शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए प्रतिबद्ध है । पिछले दस वर्षों के दौरान न्यायधीशों की नियुक्ति का उच्च न्यायालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध** के रूप में संलग्न है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारें, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, सेवानिवृत्ति के मामलों से संबंधित नियम और विनियम विरचित करती है । अतः, जहां तक कि राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है कतिपय राज्यों में यह संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय करते हैं ।

संविधान के अधीन संघ सरकार, जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं निभाती है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में अपने 4 जनवरी, 2007 के आदेश में अधीनस्थ न्यायापालिका की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा प्रकल्पित की है जो यह नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु स्थितियों या अन्य सुसंगत स्थितियों के आधार पर किन्हीं कठिनाइयों की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है ।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मलिक मजहर के निर्णय की एक प्रति भेजी थी । न्याय विभाग सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्ति को भरने में मलिक मजहर सुल्तान मामले द्वारा आज्ञापित तेजी लाने के लिए समय समय पर लिखता रहता है ।

सितंबर, 2016 में, संघीय विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर संख्या में अभिवृद्धि करने और राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए लिखा था । इसे मई, 2017 में पुन: दोहराया गया था । जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या वर्ष 2014 में 19518 से बढ़कर 01.02.2022 को 24,514 हो गई है । अगस्त, 2018 में, लंबित मामलों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में, केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों को नियमित रूप से रिक्तियों की प्रास्थिति मॉनीटर करने और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर मामले में विहित समय सूची के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लिखा था। रिक्तियों का भरा जाना उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वप्रेरणा से 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 2 में मॉनीटर किया जा रहा है

अनुबंध

न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 478 जिसका उत्तर तारीख 04.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ड) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(31.01.2022 तक)

क्र.सं.	न्यायालय	निम्नलिखित के दौरान नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	उच्चतम न्यायालय	06	06	09	01	04	05	08	10	-	09
	उच्च न्यायालय										
1	इलाहाबाद	14	09	13	05	20	51	25	10	04	17
2	आंध्र प्रदेश	02	16	-	-	01	10	-	02	07	02
3	बॉम्बे	05	12	14	04	06	14	04	11	04	06
4	कलकत्ता	07	13	01	-	01	08	11	06	01	08
5	छत्तीसगढ़	-	03	02	-	03	03	04	-	-	03
6	दिल्ली	-	08	04	08	05	04	05	04		02
7	गुवाहाटी	02	03	-	-	05	02	02	04	-	06
8	गुजरात	04	03	01	02	05	-	04	03	07	07
9	हिमाचल प्रदेश	01	-	03	-	04	-	-	02	-	01
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	-	05	-	01	-	03	02	-	05	02
11	झारखंड	01	02	03	-	04	02	03	02		04
12	कर्नाटक	01	05	05	-	05	02	12	10	10	06
13	केरल	02	06	06	-	06	03	04	01	06	12
14	मध्य प्रदेश	-	05	07	01	18	-	08	02	-	08
15	मद्रास	01	08	-	08	25	12	08	01	10	05
16	मणिपुर	-	-	01	-	01	-	-	-	01	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-
18	उड़ीसा	01	05	03	-	-	-	01	01	02	04
19	पटना	01	-	04	-	06	06	-	04	-	06
20	पंजाब और हरियाणा	05	09	14	-	01	08	7	10	01	06
21	राजस्थान	-	09	01	09	11	05	-	05	06	08
22	सिक्किम	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-
23	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	03	01	07
24	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	01	-	01	-
25	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	03	03	01	-	-
	कुल	47	121	82	38	126	115	108	81	66	120

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.479

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

वर्चुअल कोर्ट

479. **श्रीमती वीणा देवी :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोरोना काल के दौरान न्यायालयों द्वारा शुरू की गई वर्चुअल सुनवाई के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए वर्चुअल कोर्ट स्थापित करने का है ;

(ख) इस समय न्याय विभाग द्वारा राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ई-कोर्ट के लिए कितने सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त ई-कोर्ट के कार्यकरण के संबंध में किसी प्रकार का प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान भी आयोजित किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 30.11.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,08,36,087 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 57,39,966 (कुल 1.65 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 08.01.2022 तक 1,81,909 सुनवाइयां कीं और वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाईयों का वैश्विक नेता बन गया । सभी न्यायालय परिसरों में से प्रत्येक को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत तालुक स्तर के न्यायालय भी हैं तथा 14,443 न्यायालय कक्षों हेतु अतिरिक्त वीसी उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवाई गई हैं । 2506 वीसी कैबिन स्थापित करने के लिए निधियां जारी की गई हैं । अतिरिक्त 1500 वीसी

लाइसेंस अर्जित किए गए हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों में वीसी सुविधा समर्थ की गई है । 1732 डाक्यूमेंट विजुअलाईजर उपाप्त करने के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

आभासी न्यायालय, न्यायालय में मुकदमा करने वाले या अधिवक्ता की उपस्थिति को हटाकर तथा आभासी प्लेटफार्म पर मामलों के न्यायनिर्णयन के लक्ष्य हेतु एक संकल्पना है । यह संकल्पना न्यायालय के संसाधन को प्रभावी ढंग से उपयोग करने तथा मुकदमा करने वालों को लघु विवादों के समाधान के लिए प्रभावी अवसर प्रदान करने के लिए विकसित की गई है । आभासी न्यायालय किसी न्यायाधीश द्वारा आभासी इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर प्रशासित किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य पर हो सकेगी और वह 24X7 कार्य कर सकेगा । 19.01.2022 को यथाविद्यमान, यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में 17 आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 19.01.2022 तक 17 आभासी न्यायालयों द्वारा 1.20 करोड़ (1,20,31,758) से अधिक मामले निपटाए तथा 20 लाख से अधिक (20,40,003) मामलों में 212 (212.01) करोड़ रुपए ऑन-लाईन जुर्माने के रुप में वसूल किए । तथापि, आभासी न्यायालयों की स्थापना प्रशासनिक विषय है, जो न्यायपालिका और संबंधित राज्य सरकारों के अन्तर्गत और उनके क्षेत्र में आता है और इस विषय में केन्द्रीय सरकार को निभाने के लिए कोई भूमिका नहीं है ।

(ख) : न्यायिक सेवा केन्द्र (जेएससी) मुकदमा करने वालो/अधिवक्ताओं द्वारा याचिकाए और आवेदन फाइल करने के लिए और चल रहे मामलों पर तथा आदेशों और निर्णयों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए एकल खिडकी के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किए गए हैं ।

ई-न्यायालयों के लिए स्थापित किए गए न्यायिक सेवा केन्द्रों की राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों वार संख्या नीचे सारणी में दी गई है :

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	न्यायिक सेवा केन्द्रों की संख्या
1	इलाहाबाद	130
2	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	210
3	बम्बई	419
4	कलकत्ता	84
5	छत्तीसगढ	58
6	दिल्ली	6

7	गुवाहाटी	46
8	गुजरात	216
9	हिमाचल प्रदेश	25
10	जम्मू कश्मीर और लद्दाख	33
11	झारखंड	20
12	कर्नाटक	181
13	केरल	46
14	मध्य प्रदेश	168
15	मद्रास	223
16	मणिपुर	13
17	मेघालय	1
18	ओडिशा	110
19	पटना	46
20	पंजाब और हरियाणा	117
21	राजस्थान	232
22	सिक्किम	4
23	त्रिपुरा	12
24	उत्तराखंड	29
	योग	2399

इसके अतिरिक्त, डिजिटल खाई को पाटने के लिए सरकार ने अधिवक्ताओं और मुकदमा करने वालों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं । सरकार ने ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 451 ई-सेवा केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं ।

(ग) : समय-समय पर विभिन्न पणधारियों को प्रशिक्षण देने के लिए और उन्हें न्यायालय डिजिटाइजेशन पहलों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान निम्नानुसार संचालित किए गए हैं :

- अधिवक्ताओं के बीच ई-फाइलिंग के बारे में जागरूकता के सृजन और उससे परिचित कराने के लिए, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली अधिवक्ता परिषद् के लिए जून, 2020 के दौरान वेबिनार आयोजित की गईं जिनमें 19,000 से अधिक दर्शक थे ।

- अधिवक्ताओं और मुकदमा करने वालों के उपयोग के लिए, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में ई-फाइलिंग पोर्टल पर "स्टेप बाई स्टेप गाइड फार ई-फाइलिंग" शीर्षक वाली एक ई-फाइलिंग निर्देशिका तैयार की गई है और उपलब्ध कराई गई है । इसे 11 क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया गया है ।

- भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने ई-न्यायालय सेवा मोबाइल एप्लीकेशन के लिए उपयोक्ता निर्देशिका जारी की है और इसे 14 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, असमी, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी,

नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में ई-समिति की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड किया है ।

- "ई-फाइलिंग पर कैसे रजिस्टर करें" पर ब्रोशर अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध करवाया गया है । इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किया गया है ।

- जागरूकता अभियान के भाग के रूप में, ई-न्यायालय सेवाओं के नाम से एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है जहां ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल पणधारियों तक बृहत पहुंच के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं ।

- हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 7 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-फाइलिंग पर 12 स्वयं सहायता वीडियो तैयार किए गए तथा जागरूकता वृद्धि कार्यक्रमों के भाग के रूप में अधिवक्ताओं के लिए परिचालित किए गए । उक्त वीडियो ई-फाइलिंग पोर्टल हैल्पडैस्क पर तथा ई-समिति यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं ।

- ई-न्यायालय सेवाओं के अधीन ई-फाइलिंग और इसीएमटी उपकरणों पर अधिवक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पहले ही आरम्भ किया जा चुका है ।

- प्रत्येक उच्च न्यायालय में 25 मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं जो बदले में सम्पूर्ण देश में 5409 मास्टर प्रशिक्षकों को पहले ही प्रशिक्षित कर चुके हैं । ये 5409 मास्टर प्रशिक्षक बदले में अधिवक्ताओं को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में देश के प्रत्येक जिले में ई-न्यायालय सेवाओं और ई-फाइलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर चुके हैं तथा मास्टर प्रशिक्षक अधिवक्ताओं की पहचान भी कर चुके हैं ।

- भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर निम्नलिखित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न पणधारियों के लिए संचालित किए हैं :

मई, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम

प्रशिक्षणार्थी	संख्या
अधिवक्ता और लिपिक	259881
अधिवक्ता मास्टर प्रशिक्षक	4053

न्यायालय कर्मचारीवृंद	72134
उच्च न्यायालय न्यायाधीश	259
न्यायिक अधिकारी (जिला न्यायपालिका)	1307
एनजेडीजी कार्यशाला	1443
न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के लिए आईसीटी जागरूकता कार्यक्रम	21202
विधि छात्र	675
साइबर अपराध (मास्टर प्रशिक्षक)	42
योग	**360993**

.....

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 481

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

ई-लोक अदालतें

481. **श्री मोहनभाई कुंडारिया :**

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए देश में और अधिक "ई-लोक अदालतें" स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में कार्यरत ई-लोक अदालतों की संख्या कितनी है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-लोक अदालतों द्वारा कितने मामलों का निपटारा किया गया है और सरकार द्वारा ई-लोक अदालतों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) इससे उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में किस हद तक कमी आई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : लोक अदालत एक स्थायी स्थापन नहीं है और न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और पूर्व मुकदमेबाजी स्तर पर विवादों को निपटाने की दृष्टि से ऐसे अंतराल पर आयोजित की जाती है, जैसा अपेक्षित महसूस किया जाता है। कोविड महामारी के दौरान, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण(नालसा) के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकरणों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जिसे ई-लोक अदालत के रूप में बेहतर जाना जाता

है, लोक अदालत चलाने के लिए प्रौद्योगिकी को सरलता से एकीकृत किया है । चूंकि ई-लोक अदालतें नियमित लोक अदालतों के साथ-साथ आयोजित की जाती हैं, इसलिए पीठों का गठन पूर्व-मुकदमेबाजी मामलों के लिए विभिन्न न्यायालयों या अधिकरणों और संस्थानों द्वारा संदर्भित मामलों की मात्रा के आधार पर किया जाता है।

पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। झारखंड सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जून, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक आयोजित ई-लोक अदालतों का ब्योरा **उपाबंध-क** पर दिया गया है।

ई-लोक अदालतों का संवर्धन करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं - ई-लोक अदालत के आयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, न्यायालय कर्मचारी को प्रणाली अधिकारियों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, ई-लोक अदालतों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने के लिए लिंक और जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित वाद सूची के लिए उन्हें सुसंगत जानकारी/लिंक देने के लिए वादकारियों, अधिवक्ताओं और प्रतिवादियों हेतु व्हाट्सएप समूह बनाना भी है।

(घ) : लोक अदालतें उच्च न्यायालयों सहित न्यायालयों के बढ़ते बकाया को रोकने में अनुकल्पि विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र की सबसे प्रभावी पद्धति हैं। जून, 2020 से दिसम्बर, 2021 के दौरान ई-लोक अदालतों द्वारा न्यायालयों में 15.29 लाख पूर्व-मुकदमे मामलों और 8.17 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया है।

****

उपाबंध-क

ई-लोक अदालतें- श्री मोहनभाई कुंडारिया, श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 481 जिसका उत्तर तारीख 04.02.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जून, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक आयोजित ई-लोक अदालतों के ब्यौरे को दर्शित करने वाला विवरण ।

			पूर्व मुकदमेबाजी मामले		न्यायालयों में लंबित मामले		कुल	
क्र.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	तारीख	लिए गए	निपटान	लिए गए	निपटान	लिए गए	निपटान
1	मध्यप्रदेश	27.06.2020	0	0	94	91	94	91
2	छत्तीसगढ़	11.07.2020	0	0	5067	2270	5067	2270
3	मध्य प्रदेश	25.07.2020	2529	148	14893	2085	17422	2233
4	दिल्ली	08.08.2020	0	0	8112	5838	8112	5858
5	राजस्थान	21.08.2020	17724	4395	54366	29151	72090	33546
6	जम्मू, कश्मीर और लद्दाख	22.08.2020	502	395	5255	3878	5757	4273
7	पश्चिमी बंगाल	27.08.2020	0	0	120	59	120	59
8	मध्य प्रदेश	08.08.2020 और 29.08.2020	694	52	6122	1841	6816	1893
9	मणिपुर	02.09.2020	0	0	12	7	12	7
10	ओडिशा	12.09.2020	3870	171	16910	2061	20780	2232
11	उत्तराखंड	12.09.2020	398	217	5067	1787	5465	2004
12	हरियाणा	18.09.2020	3755	3625	9412	4913	13167	8538
13	पश्चिमी बंगाल	19.09.2020	5577	1363	6890	5911	12467	7274
14	कर्नाटक	19.09.2020	12613	7383	218752	108555	231365	115938
15	दिल्ली	20.09.2020	0	0	14856	13491	14856	13491
16	गुजरात	26.09.2020	881	803	16169	10142	17050	10945
17	मध्य प्रदेश	26.09.2020	130	77	6445	1326	6575	1403
18	अरुणाचल प्रदेश	26.09.2020	78	13	24	11	102	24
19	झारखंड	26.09.2020	9700	9700	1648	1019	11348	10719
20	मणिपुर	29.09.2020	20	14	0	0	20	14
21	हिमाचल प्रदेश	25.09.2020, 26.09.2020 और 30.09.2020	130	59	416	244	546	303
22	मध्य प्रदेश	23 और 31.10.2020	254	32	5860	1696	6114	1728
23	झारखंड	17.10.2020	19389	19389	8716	6940	28105	26329
24	उत्तर प्रदेश	01.11.2020	0	0	5423	2763	5423	2763
25	तेलंगाना	07.11.2020	809	807	10419	9116	11228	9923
26	उत्तराखंड	07.11.2020	0	0	3161	469	3161	469
27	मध्य प्रदेश	07.11.2020	0	0	830	188	830	188
28	झारखंड	26.11.2020	36000	35113	96	18	36096	35131
29	मध्य प्रदेश	28.11.2020	54	3	1378	569	1432	572
30	पश्चिमी बंगाल	28.11.2020	1389	89	2195	1121	3584	1210
31	आंध्र प्रदेश	12.12.2020	213	37	7053	5640	7266	5677
32	बिहार	12.12.2020	57903	17296	7727	2387	65630	19683

33	चंडीगढ़	12.12.2020	0	0	70	12	70	12
34	छत्तीसगढ़	12.12.2020	566	55	4244	2473	4810	2528
35	दिल्ली	12.12.2020	0	0	14785	12956	14785	12956
36	गुजरात	12.12.2020	9607	1580	21569	10803	31176	12383
37	हरियाणा	12.12.2020	0	0	153	72	153	72
38	झारखंड	12.12.2020	41887	17206	12489	7504	54376	24710
39	मध्य प्रदेश	12.12.2020	0	0	970	589	970	589
40	महाराष्ट्र	12.12.2020	0	0	654	653	654	653
41	मणिपुर	12.12.2020	132	79	37	17	169	96
42	पंजाब	12.12.2020	3226	417	4495	2826	7721	3243
43	राजस्थान	12.12.2020	19001	2043	3499	523	22500	2566
44	सिक्किम	12.12.2020	11	11	0	0	11	11
45	तेलंगाना	12.12.2020	6	6	63	25	69	31
46	उत्तराखंड	12.12.2020	3000	128	341	106	3341	234
47	पश्चिमी बंगाल	12.12.2020	2036	100	164	86	2200	186
48	कर्नाटक	19.12.2020	1827	250	27036	18840	28863	19090
49	ओडिशा	19.12.2020	6840	305	3589	892	10429	1197
50	गोवा	05.01.2020	0	0	19	2	19	2
51	आंध्र प्रदेश	20.01.2021	0	0	1	1	1	1
		23.01.2021	28	28	4294	1856	4322	1884
		30.01.2021	10	2	521	460	531	462
52	झारखंड	27.02.2021	185	133	1947	1812	2132	1945
53	उत्तर प्रदेश	07.05.2021	0	0	2165	1657	2165	1657
54	दिल्ली	07.03.2021, 13.03.2021 और 21.03.2021	1835	1481	0	0	1835	1481
55	आंध्र प्रदेश	मार्च, 2021	50	50	3705	789	3755	839
56	कर्नाटक	27.03.2021	0	0	1391	1246	1391	1246
57	ओडिशा	10.04.2021	6777	175	2476	609	9253	784
58	मणिपुर	10.04.2021	73	58	0	0	73	58
59	पंजाब	10.04.2021	2000	115	4541	3589	6541	3704
60	आंध्र प्रदेश	अप्रैल, 2021	9	9	480	454	489	463
61	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	17.04.2021	1779	1180	3668	2413	5447	3593
62	झारखंड	10.04.2021	18081	10342	7249	5223	25330	15565
		24.04.2021	122	99	80	77	202	176
63	उत्तराखंड	10.04.2021	0	0	48	2	48	2
64	दिल्ली	10.05.2021	0	0	1	1	1	1
65	झारखंड	29.05.2021	85	41	83	76	168	117
66	आंध्र प्रदेश	मई, 2021	16	8	537	491	553	499
67	तेलंगाना	जून, 21	0	0	18	8	18	8
68	आंध्र प्रदेश	जून, 21	17	11	2171	2625	2188	2636
69	झारखंड	26.06.2021	175	89	311	204	486	293

70	सिक्किम	जून, 21	77	1	2	0	79	1
71	दिल्ली	10.07.2021	14	12	29845	26317	29859	26329
72	उत्तराखंड	10.07.2021	193	63	3527	1622	3720	1685
73	सिक्किम	जुलाई, 2021	92	13	24	12	116	25
74	त्रिपुरा	जुलाई, 2021	505	47	606	62	1111	109
75	छत्तीसगढ़	10.07.2021	89	89	1565	1565	1654	1654
76	गोवा	जुलाई, 2021	0	0	131	63	131	63
77	झारखंड	जुलाई, 2021	36385	19040	24253	13391	60638	32431
78	मणिपुर	जुलाई, 2021	109	99	57	32	166	131
79	मिजोरम	जुलाई, 2021	199	104	106	25	305	129
80	ओडिशा	10.07.2021	546	198	1189	667	1735	865
81	आंध्र प्रदेश	जुलाई, 2021	31	23	176	157	207	180
82	पश्चिमी बंगाल	जुलाई, 2021	1540	126	60	37	1600	163
83	तेलंगाना	10.07.2021	21	15	332	188	353	203
84	मेघालय	10.07.2021	129	29	16	3	145	32
85	उत्तर प्रदेश	जुलाई, 2021	3563	484	131	113	3694	597
86	केरल	30.07.2021	3985	986	35541	25271	39526	26257
87	बिहार	जुलाई, 2021	55	45	393	234	448	279
88	पंजाब	अगस्त, 2021	0	0	1	1	1	1
89	आंध्र प्रदेश	अगस्त, 2021	133	11	229	191	362	202
90	कर्नाटक	अगस्त, 2021	4645	4213	26249	21837	30894	26050
91	सिक्किम	अगस्त, 2021	39	6	15	3	54	9
92	मिजोरम	अगस्त, 2021	28	7	0	0	28	7
93	महाराष्ट्र	अगस्त, 2021	11680	192	8737	3170	20417	3362
94	उत्तर प्रदेश	अगस्त, 2021	12964	2	2281	1177	15245	1179
95	उत्तराखंड	सितंबर, 2021	0	0	24	24	24	24
96	अरुणाचल प्रदेश	सितंबर, 2021	38	5	37	12	75	17
97	मणिपुर	सितंबर, 2021	320	277	66	35	386	312
98	बिहार	सितंबर, 2021	224	128	903	457	1127	585
99	छत्तीसगढ़	सितंबर, 2021	8456	5576	966	638	9422	6214
100	मिजोरम	सितंबर, 2021	1291	86	61	21	1352	107
101	ओडिशा	सितंबर, 2021	5773	294	108	7	5881	301
102	त्रिपुरा	सितंबर, 2021	1845	458	866	107	2711	565
103	कर्नाटक	सितंबर, 2021	0	0	5947	6075	5947	6075
104	आंध्र प्रदेश	सितंबर, 2021	126	12	159	145	285	157
105	तेलंगाना	सितंबर, 2021	10	9	278	144	288	153
106	दिल्ली	सितंबर, 2021	2263	223	28390	23366	30653	23589
107	सिक्किम	सितंबर, 2021	45	18	19	5	64	23
108	झारखंड	सितंबर, 2021	19026	6114	1960	1147	20986	7261
109	उत्तर प्रदेश	सितंबर, 2021	0	0	107	18	107	18
110	महाराष्ट्र	सितंबर, 2021	3328	1829	1551648	337351	1554976	339180
111	मेघालय	सितंबर, 2021	4	4	6	1	10	5
112	पश्चिमी बंगाल	सितंबर, 2021	2084	118	704	543	2788	661
113	दिल्ली	अक्तूबर, 2021	1205	1166	0	0	1205	1166
114	तेलंगाना	अक्तूबर, 2021	0	0	1	1	1	1

115	मिजोरम	अक्टूबर, 2021	30	7	0	0	30	7
116	मेघालय	अक्टूबर, 2021	0	0	1	1	1	1
117	आंध्र प्रदेश	अक्टूबर, 2021	0	0	78	72	78	72
118	उत्तर प्रदेश	अक्टूबर, 2021	17	3	159	14	176	17
119	सिक्किम	अक्टूबर, 2021	39	18	16	6	55	25
120	उत्तर प्रदेश	नवम्बर, 2021	0	0	860	298	860	298
121	आंध्र प्रदेश	नवम्बर, 2021	0	0	629	623	629	623
122	पश्चिमी बंगाल	नवम्बर, 2021	196	8	348	339	544	347
123	दिल्ली	नवम्बर, 2021	443	443	0	0	443	443
124	मिजोरम	नवम्बर, 2021	155	36	1	1	156	37
125	सिक्किम	नवम्बर, 2021	42	2	15	1	51	3
126	दिल्ली	दिसम्बर, 2021	1985	1940	0	0	1985	1940
127	अरुणाचल प्रदेश	दिसम्बर, 2021	25	0	5	0	30	0
128	कर्नाटक	दिसम्बर, 2021	884	32	3439	4805	6292	4837
129	पश्चिमी बंगाल	दिसम्बर, 2021	0	0	340	266	340	266
130	तेलंगाना	दिसम्बर, 2021	14	14	519	433	533	447
131	महाराष्ट्र	दिसम्बर, 2021	3624941	1214030	2190	2148	3626531	1216187
132	आंध्र प्रदेश	दिसम्बर, 2021	7	7	736	711	743	718
133	पंजाब	दिसम्बर, 2021	101	4	348	221	449	225
134	मणिपुर	दिसम्बर, 2021	129	119	0	0	129	119
135	मिजोरम	दिसम्बर, 2021	76	10	0	0	76	10
136	छत्तीसगढ़	दिसम्बर, 2021	5	5	384	330	389	335
137	सिक्किम	दिसम्बर, 2021	72	23	32	12	104	35
138	उत्तर प्रदेश	दिसम्बर, 2021	184776	123404	49084	33524	234760	156928
कुल			4230308	1529519	2463646	817796	6693954	2347315

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.512

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

राजस्थान और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्तियां

512. **श्रीमती केशरी देवी पटेल :**

श्री कनकमल कटारा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान और उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या की तुलना में उच्च न्यायालयों सहित जिला-वार स्वीकृत संख्या कितनी है ;

(ख) न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए है ;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों की रिक्तियों के कारण विलंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु कोई समय-सीमा तय करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार को उदयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिए भेजा गया कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा राजस्थान और इलाहाबाद के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के संबंध में न्यायाधीशों की मंजूर पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों की स्थितियां निम्नानुसार हैं ।

(31.01.2022 के अनुसार)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	मंजूर पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1	राजस्थान	50	28	22
2	इलाहाबाद	160	93	67
जिला और अधीनस्थ न्यायालय				
1	राजस्थान	1549	1274	275
2	उत्तर प्रदेश	3634	2542	1092

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रिक्तियों के उद्भूत होने से छह मास पूर्व उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव शुरु करना आवश्यक है। सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा की जाती है। वर्तमान में, राजस्थान उच्च न्यायालय में 22 रिक्तियों के विरुद्ध, उच्च न्यायालय कॉलेजियम (एचसीसी) से 04 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि एचसीसी से अभी तक 18 प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 67 रिक्तियों के संबंध में, एचसीसी से 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं जबकि 40 प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। विद्यमान रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदत्याग या न्यायाधीशों की प्रोन्नति और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी कारण उत्पन्न होती रहती हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के पास निहित होता है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण सेवानिवृत्ति के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है। अतः जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, संबंधित

उच्च न्यायालय इसे कतिपय राज्यों में करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय इसे अन्य राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं।

(ग) और (घ) : न्यायालयों में मामलों की सुनवाई करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार की न्यायालयों में मामलों के निपटान मे कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद तथा भौतिक अवसंरचना, तथ्यों की जटिलता भी सम्मिलित है जिसके अंतर्गत साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित आवेदन सम्मिलित है । कई अन्य कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और बहु मामले के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं।

(ङ) : यह कथन किया गया है कि उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिट याचिका (सिविल) 2000 की संख्या 379 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और राज्य सरकार के एक पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार के पश्चात जिसमें आवश्यक व्यय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिन-प्रतिदिन उच्च न्यायालयप्रशासन की देखभाल करने की अपेक्षा है । प्रस्ताव को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए। इस संबंध में श्री कंकमल कटारा, म.प्र. (लोकसभा) से उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिएएक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। चूंकि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना के संबंध में कोई भी पूर्ण प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है, अतः उन्हें तारीख 14.09.2021 को तदनुसार नियत कराया गया है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.527

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

लॉ इंटर्न्स का टेली लॉ स्कीम के तहत नियोजन

527. श्री नायब सिंह सैनी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समाज के कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए टेली लॉ स्कीम के तहत अधिवक्ताओं और कानून के छात्रों की विशेषज्ञता का उपयोग करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की न्याय प्रदान प्रणाली में तेजी लाने के लिए विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत इंटर्नशिप पूरा करने वाले छात्रों को शामिल करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे लॉ इंटर्न्स की प्रतिभा का उपयोग करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : जी, हां । सरकार अपनी टेली-विधि स्कीम के माध्यम से सामान्य सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध टेली-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं द्वारा पैनल वकीलों के कॉडर और नागरिकों के टेली-विधि मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मुकदमा पूर्व सलाह और परामर्श प्रदान करती है । अब तक टेली-विधि के अधीन 129 पैनल वकीलों को ऑन-बोर्ड किया जा चुका है । टेली-विधि के लाभों को अधिकतम सीमा मे समाज के दुर्बल वर्गों तक पहुंचाने के लिए, विशेष रूप में विधि के छात्रों और साधारण रूप से छात्रों को

स्वयंसेवा और पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) के रूप में नागरिकों के टेली-विधि मोबाइल एप पर रजिस्टर करने के लिए प्रेरित किया जाता है ।

(ग) और (घ) : जी, हां । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) विधि के छात्रों के लिए वर्ष की ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की अवधि के दौरान 3 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित करता है । इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विधि इंटर्न्स को विधिक सेवा संस्थाओं की कार्यपद्धति और क्षेत्रीयता केन्द्रित विधिक सेवा कार्यक्रमों का व्यापक बोध प्राप्त हो । इस इंटर्नशिप के दौरान छात्र केन्द्रीय कारागार या उप-कारागार जाते हैं और कैदियों से बातचीत करके यह पता लगाते हैं कि क्या वह अधिवक्ताओं द्वारा अभिवेदित किए जा रहे हैं और कैदियों की कठिनाईयों का पता लगाते हैं, विधिक सेवा क्लीनिकों की कार्यपद्धति को देखते है, संप्रेक्षण गृह/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/ओषधि पुनर्वास केन्द्र/जिला न्यायालयों जिसमें मजिस्ट्रेट/सत्र और सिविल न्यायालय सम्मिलित हैं और पुलिस स्टेशन का दौरा करते हैं और इन संस्थाओं में विधिक सेवा वकीलों की भूमिका को देखते हैं । छात्र विधिक साक्षरता/विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में उपस्थित होते और भाग लेते हैं । इंटर्नशिप के सफलतापूर्वक समापन पर विधि इंटर्न्स को एक इंटर्नशिप प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.538

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

538. **श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :**

श्री भागीरथ चौधरी :

श्री नारणभाई काछड़िया :

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर :

श्री देवजी पटेल :

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों (ग्रामीण न्यायालयों) की स्थापना से ऐसे लंबित मामलों की संख्या में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का और उन्हें सीमित स्वरूप के मामलों की सुनवाई के लिए अधिकार प्रदान करने का है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त ग्राम न्यायालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 19.01.2022 की स्थिति के अनुसार देश भर के उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों मे लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

	सिविल मामले	आपराधिक मामले	कुल
उच्च न्यायालय	40,95,419	15,64,601	56,60,020
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	1,07,23,895	2,95,39,122	4,02,63,017

(ख) से (ङ) : नागरिक को उनकी दहलीज पर न्याय प्रदान करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के अनुसार, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम मध्यवर्ती स्तर पर या किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर समीपस्थ पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, प्रत्येक पंचायत के लिए समीपस्थ समूह पंचायतों के समूह के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। ग्राम न्यायालयों को अधिनियम की अनुसूची में प्रदान किए गए नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार के साथ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को ऐसी अनुसूचियों में किसी भी मद को जोड़ने या छोड़ने का अधिकार है।

विभिन्न राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित हैं, जिनमें से 10 राज्यों में 276 कार्यरत हैं और ग्राम न्यायालय पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार 41,108 मामले (39,746 आपराधिक मामलों सहित) इन ग्राम न्यायालयों में जनवरी से दिसंबर 2021 तक का निपटारा किया गया।

07 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ग्राम न्यायालय स्कीम के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को इस प्रश्न का निर्णय लेना चाहिए। जहां भी संभव हो, ग्राम न्यायालयों की स्थापना, उनकी स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, ग्राम न्यायालय स्कीम के अधीन उन तालुकों को कवर करने पर ध्यान केंद्रित करना जहां नियमित न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 547

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

मुंबई उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठ

547. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद के मौजूदा स्थानों के अलावा मुंबई उच्च न्यायालय की कोई अतिरिक्त पीठ जोड़ने का कोई प्रस्ताव या अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार महाराष्ट्र के दक्षिण या पश्चिम भाग में कोई अतिरिक्त पीठ स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विस्तार के लिए ऐसी योजना पर विचार नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालय की न्यायपीठें जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार तथा राज्य सरकार, जो आवश्यक व्यय और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती है तथा संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जिससे, न्यायालय के दिन प्रति दिन प्रशासन को चलाने की अपेक्षा की जाती है, के पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात स्थापित की जाती है । प्रस्ताव सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति से भी पूरा किया जाना चाहिए । वर्तमान में, महाराष्ट्र के दक्षिण या पश्चिमी भाग में बोम्बे उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 550

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां

550. श्री संजय काका पाटील :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि उच्च न्यायपालिका की संरचना देश की सामाजिक-आर्थिक विविधता को प्रदर्शित करे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा रिक्तियों के होने से 6 माह पूर्व उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की रिक्ति को भरने का प्रस्ताव का आरंभ किया जाना अपेक्षित है । सरकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा की जाती है । वर्तमान में 172 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं । उच्च न्यायालयों में 239 रिक्तियों के संबंध में, उच्च न्यायालय कॉलेजियम से और सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं। उच्च न्यायालय में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केन्द्रीय स्तर दोनों

पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, न्यायाधीशों की सेवानिवृति, त्याग पत्र, या उन्नयन के कारण और न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि के कारण भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां लगातार उद्भूत होती रहती हैं ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो व्यक्ति की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । इसीलिए, कोई वर्ग/प्रवर्ग वार डाटा नहीं रखा जाता है । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक भिन्नता को सुनिश्चित करने के लिए, उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्कों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए ।

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 559

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

निःशुल्क विधिक सहायता

559. श्री अनुराग शर्मा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में न्याय मित्र योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है ;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत कितने मामलों का निपटान किया गया है ;

(ग) क्या उक्त योजना ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए इसे कार्यान्वित किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वंचित लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी हां, न्यायमित्र का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में दशकों पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना है । अप्रैल, 2017 से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कुल 27 न्याय मित्र काम में लगे हुए थे, जो उत्तर प्रदेश में 111 मामलों सहित 2019 मामलों के निपटान में न्यायालयों की सहायता की । न्याय मित्र द्वारा मामलों के निपटान का राज्य-वार विवरण **उपाबंध-क** में है । कोविड महामारी के कारण न्यायालयों के बंद होने और सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल के कारण वर्ष 2020-2021 के दौरान किसी भी नए

न्यायमित्र को काम में नहीं लगाया जा सका है । न्याय मित्र जो काम पर लगे हुए थे, वे 2019 पुराने मामलों के निपटान में सहायता की, जिसमें सिविल मामले जैसे वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा मामले और आपराधिक मामले भी शामिल हैं ।

(घ) : विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी नागरिक को आर्थिक और अन्य असमर्थता के कारण न्याय सुनिश्चित करने के अवसरों से वंचित नहीं हो, और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना कि विधिक प्रणाली का प्रचालन समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने में हो ।

इस प्रयोजन के लिए, विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तलुका स्तर से उच्चतम न्यायालय तक की गई है । अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 की अवधि के दौरान 60.17 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की गई और 132.37 लाख मामले (न्यायालयों मे लंबित और पूर्व-मुकदमेबाजी स्तर पर विवाद) लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराने के लिए पात्र व्यक्तियों को प्रो-बोनो वकीलों के साथ जोड़ने के लिए न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाए) कार्यक्रम प्रारंभ किया है । इस कार्यक्रम के अधीन 3710 प्रो-बोनो अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत हुए हैं और 31 दिसम्बर, 2021 तक लाभार्थियों द्वारा 1485 मामले रजिस्ट्रीकृत हुए हैं । 36 राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों के सभी 669 जिलों में चलाए जा रहे टेली-लॉ कार्यक्रम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों सहित पंचायतों में 75,000 सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से पैनल वकीलों द्वारा पूर्व-मुकद्दमेबाजी स्तर पर पब्लिक को विधिक सहायता प्रदान करता है । टेली-लॉ ने 31 दिसम्बर, 2021 तक 12.81 लाख से अधिक लाभार्थियों को सलाह दी है।

****

उपाबंध-क

निःशुल्क विधिक सहायता पर श्री अनुराग शर्मा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 559 जिसका उत्तर तारीख 04.02.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

न्याय मित्र द्वारा निपटाए गए मामलों की अंतर्विष्ट संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	निपटाए गए मामलों की संख्या
1.	बिहार	44
2.	महाराष्ट्र	313
3.	उड़ीसा	169
4.	राजस्थान	1360
5.	उत्तर प्रदेश	111
6.	पश्चिमी बंगाल	22
	कुल योग	2019

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 567

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

टेली लॉ योजना

567. **सुश्री सुनीता दुग्गल :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेली-लॉ योजना के अंतर्गत कितने मामले पंजीकृत है और कितने लाभार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या सरकार का अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कोई मोबाइल ऐप शुरु करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : टेली विधि स्कीम के अधीन 31 दिसम्बर, 2031 तक 12,97,332 मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए है और 12,81,591 लाभार्थियों को पूर्व-मुक्कदमेबाजी सलाह और परामर्श दिया गया है ।

(ख) से (ग) : जी, हां । सरकार ने 13.11.2021 को नागरिकों के लिए टेली-लॉ मोबाइल एप आरंभ की है । मोबाइल एपलीकेशन लाभार्थियों को सीधे पैनल वकीलों से पूर्व-मुक्कदमेबाजी सलाह और परामर्श निःशुल्क प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाती है । एप्लीकेशन एन्ड्रोईड और आईओएस प्लेटफोर्म पर छ भाषाएँ अर्थात् मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलगु, हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 569

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा

569. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जिला स्तरीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस भाषा के माध्यम और पैटर्न का ब्यौरा क्या है जिसमें परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) उक्त परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अखिल भारतीय प्राधिकरण की स्थापना हेतु संभावित तरीकों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को, सुदृढ करने के लिए उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है । यह एक उचित अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त रुप से अर्हित नए प्रतिभाशाली विधिक व्यक्तियों के प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी, और साथ ही यह समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समावेशन के मुद्दे का समाधान करेगी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । देश में श्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकृषित करने के अतिरिक्त, यह न्यायपालिका में सीमांत वर्गों और महिलाओं से योग्य व्यक्तियों के समावेशन को भी सुकर बना सकेगा। अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के

मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रूप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि, कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था, जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था । कि यह संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि वे जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पदधतियां विकसित कर सकें । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर पुनः चर्चा की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श समिति और तारीख 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था ।

पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार एक समान आधार पर पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 571

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना

571. सुश्री देबाश्री चौधरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत देश में 16,875 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के सफल कम्प्यूटरीकरण के साथ ई-फाइलिंग प्रणाली का एक नया संस्करण विकसित किया है;

(ख) उक्त संस्करण किस प्रकार उन्नत है और यह ई-फाइलिंग के पुराने संस्करण से किस प्रकार अलग है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा डिजिटल संव्यवहारों पर दिए जा रहे जोर को देखते हुए मंत्रालय मामलों, दस्तावेजों आदि की ई-फाइलिंग को अनिवार्य करने पर विचार करेगा?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना फेज-2, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रधानता में भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी के संयोजन से न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी तकनीकी टीम ने नया ई-फाइलिंग वर्जन 3.0 और नया ई-फाइलिंग 3.0 पोर्टल 09 अप्रैल, 2021 से आरंभ किया था और यह https://filing.ecourts.gov.in. पर प्राप्त किया जा सकता है ।

ई-फाइलिंग वर्जन 3.0 एक नया उपयोक्ता इंटरफेस रखता है जो अधिक उपयोक्ता अनुकूल है और कतिपय अन्य अतिरिक्त विशेषताएं रखता है जो नीचे निम्नानुसार उल्लिखित की गई है :

1. प्रस्तुत सेवाएं :

- अभिवचन – तैयार टेम्प्लेट्स का उपयोग : विभिन्न विधिक दस्तावेजों के तुरन्त संपादन योग्य टेम्प्लेट्स उपलब्ध है । उपयोक्ता अभिवचन के और प्रारूपण के लिए टेम्प्लेट्स डाउनलोड और उपयोग कर सकता है ।
- अपलोड और ई-साइन अभिवचन : यह सुविधा पीडीएफ फोरमेट में विभिन्न विधिक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उपयोक्ता को समर्थ करती है ।
- शपथ रिकार्डिंग : न्यायालय में आए बिना शपथ दिलाने के लिए वीडियो रिकार्डिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।
- फाइल आईए/आवेदन : प्रत्येक न्यायालय में पृथक् रूप से प्रत्येक आवेदन फाइल करने से अधिवक्ताओं को अनुतोष प्रदान करने के लिए आईए फाइल सुविधा ।
- ऑनलाइन वकालत : सेवा वकालतनामे को ऑनलाइन सृजित या दाखिल करने के लिए समर्थ बनाती है ।
- ऑनलाइन भुगतान : सेवा ऑनलाइन न्यायालय फीस भुगतान, न्यायिक जमा, जुर्माना, शास्ति या अन्य ऑनलाइन भुगतान करने के लिए उपयोक्ता को सामर्थ बनाती है ।

2. अधिवक्ताओं के लिए विशिष्ट सेवाएं :

- भागीदारों को जोडना : अधिवक्ता, भागीदार/बार सहयोगी और कनिष्ठों को जोड सकते है ।

3. अन्य सेवाएं :

- पोर्टफोलियो प्रबंध : सेवा नए साथ ही साथ विद्यमान मामलों के लिए पोर्टफोलियो और आयोजक प्रबंध करने के लिए उपयोक्ता को समर्थ बनाती है ।
- नया डैशबोर्ड : डैशबोर्ड पोर्टफोलियो में मामलों से संबंधित सभी पूर्ण/लंबित क्रियाकलापों की एक ही जगह प्रास्थिति का उपबंध करता है ।
- सहायता खंड शिक्षाकीय वीडियो, एफएक्यु और उपयोक्ता मैन्युअल के नए दर्जन में उपबंधित है ।
- यह अधिवक्ताओं को प्रस्ताव भेजने के लिए मुवक्किल को विकल्प प्रदान करती है ।
- नया पोर्टल अधिवक्ताओं के लिए दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने का विकल्प प्रदान भी करता है ।

(ग) : न्याय विभाग ने वाणिज्यिक न्यायालयों में आने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों में ई-फाइलिंग उपयोग करने के लिए सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों जिसमें पब्लिक सेक्टर उपक्रम (पीएसयूएस) शामिल है, से अनुरोध किया है । ई-कमेटी द्वारा सभी उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए है कि सरकारी मुकदमे जनवरी, 2022 से ई-फाइल होने चाहिए । एक संसूचना न्याय विभाग द्वारा सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को यह अनुरोध करते हुए, भेजी गई है कि जनवरी, 2022 से सभी सरकारी मुकदमों में ई-फाइलिंग का उपयोग हो । वैसी ही संसूचना विधि कार्य विभाग द्वारा भी भारत सरकार के सभी सचिवों और साथ ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों, जिन में उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकाय/अधीनस्थ कार्यालय/कार्यालय और पब्लिक सेक्टर उपक्रम भी हैं, द्वारा 1 जनवरी, 2022 से संपूर्ण भारत में न्यायालयों के समक्ष भारत सरकार की ओर से मुकद्दमेबाजी की बाबत ई-फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण देश के उच्च न्यायालयों में सभी विधि अधिकारियों और सालीसिटर को भेजी गई हैं ।

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 609

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन

609. श्री ए.के.पी. चिनराज :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि मद्रास उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर केवल रिपोर्ट करने योग्य आदेश/निर्णय अपलोड किए जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के दैनिक आदेशों को समय पर अपलोड नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ख) मद्रास उच्च न्यायालय की वेबसाइट के कामकाज के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई-कोर्ट मिशन के तहत न्यायालयों को आदेश और निर्णयों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की बाध्यता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या तमिलनाडु राज्य में जिला न्यायालय निर्णयों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारतीय संविधान के अधीन न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग है और अपने सभी मामलों को निपटाने में पूरी तरह से सशक्त है । मद्रास उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि सभी मामलों के निर्णयों /आदेशों को अपलोड करने के संबंध में तमिलनाडु राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को परिपत्र तारीख 29.08.2013 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं और तदनुसार निर्णय/आदेश ई-न्यायालय सेवा पोर्टल http://ecourt.gov.in में अपलोड किए गए हैं । 30.01.2022 तक, तमिलनाडु के जिला

न्यायालयों के संबंध में 20,46,381 निर्णयों /आदेशों को अपलोड किया जा रहा हैं । मद्रास उच्च-न्यायालय के संबंध में, सभी प्रकार के मामलों के निर्णय/आदेश 16.06.2014 से मद्रास उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं । 30.01.2022 तक, मद्रास उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ और मदुरई पीठ दोनों में 11,89,446 संख्या में निर्णय और 10,11,569 संख्या में आदेश अपलोड किए गए हैं । मद्रास उच्च-न्यायालय दवारा आगे यह सूचित किया गया है कि मद्रास उच्च-न्यायालय की वेब-साइट के कामकाज के संबंध में रजिस्ट्री से प्राप्त शिकायतों को कम्प्यूटर अनुभाग के प्रभारी अधिकारियों और एन आई सी अधिकारियों के साथ तकनीकी टीम के समन्वय से तुरंत संबोधित किया जाता है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 633

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

विधिक सहायता प्राधिकरण

633. डॉ. डी. रविकुमार:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को कितनी धनराशि आवंटित और स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या एनएएलएसए (नालसा) कानूनी सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य विधिक सहायता प्राधिकरणों को धनराशि उपलब्ध कराता है और यदि हां, तो विशेषरूप से टेली-लॉ, न्याय मित्र और निःशुल्क कानूनी योजना का ब्यौरा क्या है;

(1) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य विधिक सहायता प्राधिकरणों को नालसा द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और स्वीकृत की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : सरकार द्वारा पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को आवंटित और स्वीकृत निधियां निम्न प्रकार हैं :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सरकार द्वारा आवंटित सहायता अनुदान	सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान
2018-19	150	150
2019-20	140	140
2020-21	100	100

(ख) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन बनाई गई विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एस सी एल एस सी) सहित सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधियां उपलब्ध कराता है । जहां तक टैली-विधि, न्यायमित्र और प्रो-बोनों (न्यायबंधु) का संबंध है ये न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के संबंध में उपगत निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कार्यक्रम	वार्षिक व्यय (करोड़ रुपये में)			
		2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	टैली-विधि	3.92	17.21	28.01	49.14
2	न्यायमित्र	0.09	0.27	0.03	0.39
3	प्रो-बोनों (न्यायबंधु)	0.22	0.62	0.48	1.32

(ग) और (घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आबंटित और उपयोजित की गई निधियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-क** पर है ।

****

उपाबंध-1

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में श्री रविकुमार द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 633 जिसका उत्तर तारीख 04.02.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरणों और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को आवंटित और उपयोगिता निधि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
		निधि का आवंटन	कुल व्यय	निधि का आवंटन	कुल व्यय	निधि का आवंटन	कुल व्यय *
1	आंध्र प्रदेश	4,00,00,000	3,80,42,726	2,00,00,000	2,94,92,173	3,40,00,000	3,40,00,000
2	अरुणाचल प्रदेश	1,00,00,000	2,00,68,927	2,00,00,000	1,45,35,311	1,00,00,000	1,00,00,000
3	असम	6,00,00,000	6,22,40,773	3,00,00,000	3,95,04,374	3,70,00,000	3,70,00,000
4	बिहार	2,50,00,000	4,18,19,168	4,50,00,000	5,84,14,148	3,70,00,000	3,70,00,000
5	छत्तीसगढ़	8,00,00,000	7,94,90,178	5,00,00,000	6,66,71,201	3,95,00,000	3,95,00,000
6	गोवा	0	92,49,755	0	68,99,290	50,00,000	50,00,000
7	गुजरात	3,50,00,000	3,85,56,186	3,50,00,000	3,76,03,240	3,45,00,000	3,45,00,000
8	हरियाणा	8,50,00,000	9,23,64,186	9,00,00,000	9,11,67,548	4,50,00,000	4,50,00,000
9	हिमाचल प्रदेश	4,00,00,000	4,88,01,620	4,00,00,000	4,33,17,401	1,85,00,000	1,85,00,000
10	जम्मू और कश्मीर	4,50,00,000	5,22,01,533	6,00,00,000	5,87,78,074	3,50,00,000	3,50,00,000
11	झारखंड	7,00,00,000	7,53,56,349	4,00,00,000	5,53,04,040	4,00,00,000	4,00,00,000
12	कर्नाटक	8,50,00,000	9,98,64,451	7,00,00,000	8,20,51,129	6,25,00,000	6,25,00,000
13	केरल	10,50,00,000	12,63,18,797	11,00,00,000	10,18,80,265	5,25,00,000	5,25,00,000
14	मध्य प्रदेश	3,20,00,000	3,44,71,835	4,50,00,000	4,07,57,596	3,00,00,000	3,00,00,000
15	महाराष्ट्र	6,00,00,000	5,97,55,445	6,00,00,000	6,59,81,538	6,25,00,000	6,25,00,000
16	मणिपुर	3,50,00,000	3,71,87,009	4,00,00,000	3,72,55,268	1,00,00,000	1,00,00,000
17	मेघालय	0	25,16,765	1,00,00,000	2,85,64,081	50,00,000	50,00,000
18	मिजोरम	4,00,00,000		2,50,00,000	3,07,85,476	50,00,000	

			3,11,28,500		*		50,00,000
19	नागालैंड	3,00,00,000	4,12,14,223	2,50,00,000	2,38,22,472	50,00,000	50,00,000
20	उड़ीसा	7,00,00,000	6,78,68,417	6,00,00,000	7,18,49,248	3,25,00,000	3,25,00,000
21	पंजाब	9,50,00,000	9,58,83,025	10,00,00,000	10,04,14,509	3,25,00,000	3,25,00,000
22	राजस्थान	18,00,00,000	18,04,04,152	8,50,00,000	6,39,48,717	4,55,00,000	4,55,00,000
23	सिक्किम	0	2,11,89,760	2,50,00,000	2,65,98,720	50,00,000	50,00,000
24	तमिलनाडु	6,00,00,000	6,57,11,092	5,00,00,000	5,90,12,437	4,20,00,000	4,20,00,000
25	तेलंगाना	2,00,00,000	3,45,42,481	3,50,00,000	3,01,70,896	3,50,00,000	3,50,00,000
26	त्रिपुरा	3,00,00,000	4,06,98,281	3,00,00,000	3,34,08,355	2,80,00,000	2,80,00,000
27	उत्तर प्रदेश	1,00,00,000	3,49,88,140	3,00,00,000	2,64,71,905	6,50,00,000	6,50,00,000
28	उत्तराखंड	2,00,00,000	2,24,16,032	2,00,00,000	2,60,78,888	2,50,00,000	2,50,00,000
29	पश्चिमी बंगाल	9,00,00,000	8,58,77,572	9,00,00,000	10,53,32,916	5,20,00,000	5,20,00,000
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	20,94,149	0	0		
31	चंडीगढ़	0	1,83,54,798	1,00,00,000	1,96,30,137	80,00,000	80,00,000
32	दादरा और नागर हवेली	0	1,87,11,873	0	2,14,578	2,50,000	2,50,000
33	दमण और दीव	0	3,66,147	0	3,30,325	2,50,000	2,50,000
34	दिल्ली	10,00,00,000	9,82,97,197	8,00,00,000	7,78,82,835	5,00,00,000	5,00,00,000
35	लक्षद्वीप	0	9,98,759	0	17,47,471		
36	पुदुचेरी	0	79,28,126	0	57,78,833	10,00,000	10,00,000
37	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	0	0	0	0	1,00,00,000	1,00,00,000
	कुल	155,00,00,000	178,19,66,646	142,00,00,000	166,15,35,072	100,00,00,000	100,00,00,000

* वर्ष 2020-21 के लिए व्यय अनंतिम है।

टिप्पणी: कुल व्यय सहित आवंटित निधियां, पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत की गई निधियां, ब्याज और अन्य प्राप्तियां।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 634

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण

634. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायपालिका में महिलाओं और दलितों के लिए आरक्षण लागू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का न्यायपालिका में दलितों और महिलाओं के प्रणालीगत अंतरालों और कम प्रतिनिधित्व पर विचार करके सकारात्मक पहल की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो व्यक्ति की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक भिन्नता को सुनिश्चित करने के लिए, उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्कों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए ।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) : उपरोक्त (ग) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 640

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मामले

640. श्रीमती रमा देवी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मे भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित अदालती मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने मामले दस साल से अधिक समय से लंबित हैं ;

(ग) क्या ये मामले भूमि अधिग्रहण कानूनों की कमियों के कारण लंबित पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भूमि अर्जन समवर्ती सूची का विषय है । भूमि अर्जन केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों के अधीन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 भी है । लम्बित भूमि अर्जन मामलों पर जानकारी न्याय विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 643

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की भर्ती

643. श्रीमती लॉकेट चटर्जी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं सृजित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके आवश्यक तत्व क्या हैं और इसे कब बनाया जाएगा ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को, सुदृढ करने के लिए उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है । यह एक उचित अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त रुप से अर्हित नए प्रतिभाशाली विधिक व्यक्तियों के प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी, और साथ ही यह समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समावेशन के मुद्दे का समाधान करेगी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । देश में श्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकृषित करने के अतिरिक्त, यह न्यायपालिका में सीमांत वर्गों और महिलाओं से योग्य व्यक्तियों के समावेशन को भी सुकर बना सकेगा। अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि, कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था, जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था, कि यह संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि वे जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पद्धतियां विकसित कर सकें । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त विचारों को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के लिए कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्श समिति और तारीख 22.02.2021 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था ।

पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार एक समान आधार पर पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 660

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

त्वरित न्यायालय

660. श्री अजय निषाद :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत त्वरित न्यायालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ-साथ उक्त न्यायालयों में वर्तमान में लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए और उपयोग के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(घ) क्या सरकार का वर्तमान में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए देश में अतिरिक्त त्वरित न्यायालय स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, देश में कार्य कर रहे त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) और इन न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की संख्या के साथ विगत तीन वर्षों के दौरान निपटान गए मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** में दिया गया है ।

(ग) से (ङ) : त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) की स्थापना और निधियों का आबंटन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो ऐसे न्यायालयों की

स्थापना अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालयो के परामर्श से करते है । 14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों को स्थापित करने की सिफारिश की थी और राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए कर न्यागमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढे हुए राजवित्तीय वित्तीय अन्तराल के उपयोग करने का अनुरोध किया था । आबंटित निधियों और राज्यों द्वारा इन न्यायालयों की स्थापना के लिए इसके उपयोग से संबंधित सूचना केन्द्रीय रुप से नहीं रखी जाती है ।

××××××××××

अनुबंध-I

त्वरित निपटान न्यायालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

31/12/2021 तक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय
1	आंध्र प्रदेश	21
2	असम	16
3	छत्तीसगढ	23
4	दिल्ली	7
5	गुजरात	35
6	हरियाणा	06
7	जम्मू - कश्मीर	04
8	झारखंड	06
9	कर्नाटक	18
10	केरल	78
11	महाराष्ट्र	110
12	मणिपुर	06
13	मिजोरम	02
14	ओड़िशा	19
15	पंजाब	07
16	सिक्किम	02
17	तमिलनाडु	74
18	तेलंगाना	35
19	त्रिपुरा	11
20	उत्तर प्रदेश	376
21	उत्तराखंड	04
22	पश्चिमी बंगाल	88
	कुल	898

उपाबंध-2

वर्तमान में इन न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की संख्या के साथ विगत तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019 के दौरान निपटाए गए मामले	2020 के दौरान निपटाए गए मामले	2021 के दौरान निपटाए गए मामले	31.12.2021 तक लंबित मामले
1	आंध्र प्रदेश	5456	1177	312	6153
2	असम	3173	2615	3780	9942
3	बिहार	14595	1759	1603	उपलब्ध नहीं
4	छत्तीसगढ़	9392	2877	5324	6060
5	दिल्ली	19841	393	223	2776
6	गोवा	उपलब्ध नहीं	130	59974	उपलब्ध नहीं
7	गुजरात	14318	462	37102	5633
8	हरियाणा	23348	825	899	856
9	हिमाचल प्रदेश	9388	उपलब्ध नहीं	5	उपलब्ध नहीं
10	जम्मू कश्मीर	उपलब्ध नहीं	27	391	620
11	झारखंड	6244	624	861	1009
12	कर्नाटक	11722	210	2051	3962
13	केरल	27872	217	2333	7653
14	मध्य प्रदेश	18732	1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15	महाराष्ट्र	59279	63470	114254	130868
16	मणिपुर	541	45	73081	430
17	मेघालय	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	11	उपलब्ध नहीं
18	मिजोरम	130	179	1758	207
19	नागालैंड	89	3	3	उपलब्ध नहीं
20	ओडिशा	6664	उपलब्ध नहीं	234	3244
21	पुडुचेरी	126	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	पंजाब	24854	85	471	300
23	राजस्थान	22346	उपलब्ध नहीं	32	उपलब्ध नहीं
24	सिक्किम	114	5	5	23
25	तमिलनाडु	18083	9389	7865	97262
26	तेलंगाना	5044	1525	2849	12063
27	त्रिपुरा	1399	100	347	1607
28	उत्तर प्रदेश	329345	148466	86013	732759
29	उत्तराखंड	6215	170	215	763
30	पश्चिमी बंगाल	7753	5202	3172	61335
	कुल	646063	239956	405168	1085525

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 667

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

कानूनी क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

667. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कानूनी क्षेत्र में सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : तारीख 01.02.2022 की स्थिति के अनुसार, 34 न्यायाधीशों वर्तमान स्वीकृत संख्या के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में 04 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं और 1098 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 83 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अधीन की जाती है। इन अनुच्छेदों में किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित समुचित अभ्यर्थियों पर उचित ध्यान दिया जाए।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के पास निहित होता है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण सेवानिवृत्ति के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है। अत: जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, संबंधित उच्च न्यायालय इसे कतिपय राज्यों में करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय इसे अन्य राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं। संघ सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में संविधान के अधीन कोई भूमिका नहीं है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 महिलाओं के लिए कोई विशेष उपबंध या उनके लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं करता है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *151

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

कोविड-19 के परिणामस्वरूप न्यायिक निर्णयों में विलंब

+*151. **श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'** :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप देश में न्यायिक निर्णयों में विलंब हुआ है जिसके कारण विचारणाधीन कैदियों को समय पर और कारगर न्याय नहीं मिला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0 *151, जिसका उत्तर 11.02.2022 को दिया जाना है, जो 'कोविड-19 के परिणामस्वरूप न्यायिक निर्णयों में विलंब' से संबंधित है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ग) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका की अधिकारिता के भीतर आता है । संबद्ध न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान हेतु कोई समयसीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटान में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबन में कमी के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है । देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात्, संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के अधीन आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों को अति आवश्यक सिविल और दांडिक मामलों की सुनवाई के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वर्चुअल या भौतिक रीति में सुनवाई और सभी प्रकार के मामलों पर कार्यवाही, जिसके अंतर्गत विचाराणाधीन कैदियों से संबंधित मामले भी हैं, के लिए समय-समय पर निदेश जारी किए गए हैं ।

2. कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के अधीन उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं :

i. वाइड एरिया नेटवर्क (वेन) परियोजना के अधीन, 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के साथ वाली, (07.02.2022 तक) 2960 न्यायालय साइटों को आरंभ किया गया है । यह देशभर में, न्यायालयों में डाटा कनैक्टीविटी सुनिश्चित करने का मुख्य आधार बनाता है ।

ii. केस इनफोरमेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस), जो ई-न्यायालय सेवाओं हेतु मुख्य आधार बनाता है, आवश्यकता आधारित फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस), जिसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, पर आधारित है । वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2, जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है और सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 उच्च न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है । कोविड-19 प्रबंधन हेतु एक नया सॉफ्टवेयर पैच और उपयोक्ता मैनुअल भी मामलों को तीव्र अधिसूचित करने में सहायता के लिए विकसित किया गया है ।

iii. ई-न्यायालय परियोजना के अधीन, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी), आदेशों, निर्णयों और मामलों के डाटा बेस के लिए ऑन-लाइन प्लेटफार्म के रूप में सृजित है । यह देश में सभी कम्प्यूटीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों

की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है । मुकद्दमा लड़ने वाले, इन कम्प्यूटीकृत न्यायालयों से संबंधित (01.02.2022 तक) 19.81 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 16.61 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते है । केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा संस्थागत मुकद्दमा लड़ने वालों, जिसमें स्थानीय निकाय भी हैं, को लंबन मानीटरी और अनुपालना में सुधार करने हेतु, एनजेडीजी डाटा तक पहुंच के लिए, 2020 में ओपन एपीआई अनुज्ञात किया गया है ।

iv. मुकद्दमा लड़ने वालों/वकीलों को मामला प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि की वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, एसएमएस पुश और पुल (प्रतिदिन 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ई-मेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए), बहुभाषी और स्पर्श संबंधी ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट्स), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्रों) और इनफो कियोस्कस के माध्यम से, 7 प्लेटफार्म, ई-न्यायालय परियोजना के भागरूप में, सृजित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल एप (3 जनवरी, 2022 तक कुल 72.20 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप (2 फरवरी, 2022 तक कुल 16,961 डाउनलोड) इलैक्ट्रॉनिक केस मैनेजमैंट टूल्स (ईसीएसटी) सृजित किए गए हैं । जस्टआईएस एप अब आईओएस पर भी उपलब्ध है ।

v. यातायात चालान मामलों से निपटने के लिए 13 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में 17 वर्चुअल न्यायालय क्रियाशील किए गए हैं । 02.02.2022 तक, 17 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 1.24 करोड़ से अधिक मामले हैंडल किए गए हैं और 21 लाख से अधिक मामलों में 221 करोड़ रुपए से अधिक का ऑन-लाइन जुर्माना वसूल किया गया है ।

vi. भारत का उच्चतम न्यायालय (लॉक-डाउन अवधि के आरंभ से 8.01.2022 तक) 1,81,909 सुनवाइयों के संचालन द्वारा विश्व-नेता के रूप में उभरा है । उच्च न्यायालयों (57,39,966 मामले) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,08,36,087 मामले) ने 30.11.2021 तक 1.65 करोड़ वर्चुअल सुनवाइयां की हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के मध्य वीडियो कान्फ्रैंसिंग सुविधाएं भी समर्थित है । 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपस्कर और 2506 वीसी केबिनों की स्थापना करने के लिए निधियां भी जारी की गई हैं । वर्चुअल सुनवाइयों का संवर्द्धन करने के लिए 1500 वीसी अनुजप्तियां प्राप्त की गई हैं ।

vii. इलैक्ट्रॉनिक रूप से विधिक दस्तावेज फाइल करने के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (वर्जन 3.0) आरंभ की गई है, जिसमें उन्नत विशेषताओं के साथ नया डेशबोर्ड है, जिसके अंतर्गत मेरा भागीदार, मामला फाइल करना, वकालतनामा, अभिवचन, ई-संदाय, आवेदन और मामला पोर्टफोलियो प्रबंधन का विकल्प भी है । ड्राफ्ट ई-फाइलिंग नियम बनाए गए हैं और अंगीकार करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं । 31.12.2021 तक कुल 17 उच्च न्यायालयों द्वारा ई-फाइलिंग के आदर्श नियम अंगीकृत किए गए हैं ।

viii. मामलों की ई-फाइलिंग करने के लिए फीस के इलैक्ट्रॉनिक संदाय का विकल्प अपेक्षित है, जिसके अंतर्गत न्यायालय फीस, जुर्माना और शास्तियां हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से समेकित निधि को संदेय होती है । न्यायालय फीस, जुर्माना, शास्ति और न्यायिक निक्षेपों का ऑन-लाइन संदाय https://pay.ecourts.gov.in के माध्यम से आरंभ किया गया है । कुल 16 उच्च न्यायालयों ने अपनी संबंधित अधिकारिता में ई-संदाय को कार्यान्वित कर दिया है । 31.12.2021 तक, 23 उच्च न्यायालयों ने न्यायालय फीस अधिनियम संशोधित कर दिया है ।

ix. मुकद्दमा लड़ने वालों और वकीलों को ई-फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध करके डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए ई-सेवा केंद्र बनाए गए हैं । सरकार ने ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपये जारी किए हैं । 31.12.2021 तक, 25 उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालयों में 451 सेवा केन्द्र क्रियाशील बना दिए गए हैं ।

x. प्रौद्योगिक समर्थित समन जारी करने और तामील करने के लिए नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलैक्ट्रॉनिक प्रोसेसिस (एनएसटीईपी) आरंभ किया गया है । यह वर्तमान में 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित है ।

xi. न्यायपीठ, मामला प्रकृति, मामला संख्या, वर्ष, याची/प्रत्यर्थी नाम, न्यायाधीश नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज द्वारा खोजने जैसी विशेषताओं के साथ एक नया 'निर्णय खोज' पोर्टल आरंभ किया गया है । यह सुविधा सभी को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है ।

xii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) सृजित डाटा बेस का प्रभावी प्रयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डिस्पले मैसेज साइनबोर्ड सिस्टम नामक न्याय घड़ियां 20 उच्च न्यायालयों में संस्थापित की गई हैं ।

xiii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में अवगत कराने और व्यापक जागरूकता पैदा करने तथा "कौशल विभाजन" को संबोधित करने के लिए,

वकीलों के प्रयोग हेतु, अंग्रेजी, हिंदी और 12 प्रादेशिक भाषाओं में एक ई-फाइलिंग मैनुअल और "ई-फाइलिंग के लिए कैसे रजिस्टर करें" पर ब्रोचर उपलब्ध कराया गया है । एक यू-ट्यूब चैनल का ई-फाइलिंग पर वीडियो टयूटोरियल के साथ ई-सेवा न्यायालयों के नाम से सृजन किया गया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईटीसी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए हैं । इन कार्यक्रमों में लगभग 3,60,993 पणधारियों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारिवृंद, न्यायाधीशों/डीएसए में से मास्टर प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारिवृंद और अधिवक्ता भी हैं ।

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने कोविड़-19 महामारी के दौरान समय से और प्रभावी न्याय को समर्थ बनाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं :--

i. 24 मार्च, 2020 से 29 जनवरी, 2022 की अवधि के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 1.95 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान किया गया था ।

ii. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए ई-लोक अदालत नामक वर्चुअल प्लेटफार्म की ओर गया है । पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित की गई थी और तब से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ई-लोक अदालत आयोजित की गई है, जिसमें 66.93 लाख मामलों पर कार्यवाही की गई थी और 23.47 लाख मामले निपटाए गए थे ।

iii. 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, 1.41 करोड़ से अधिक मुकद्दमा-पूर्व और लंबित मामले राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए थे । इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान 11.72 लाख मुकद्दमा-पूर्व मामले और लंबित मामलों का राज्य लोक अदालतों द्वारा समझौता कराया गया था और 1.23 लाख मुकद्दमा-पूर्व मामलों में स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाए गए थे ।

iv. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2018 की धारा 12(क) के अनुसार, विधिक सेवा संस्थानों को वाणिज्यिक विषयों में मुकद्दमा-पूर्व मध्यकता संचालित करने के लिए आज्ञापित किया गया है । 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के दौरान, 55,569 वाणिज्यिक विवाद मध्यकता के माध्यम से मुकद्दमा-पूर्व स्तर पर सुलझाए गए हैं ।

v. विशेष रूप से अधिक भीड़ वाली जेलों में कोविड-19 वायरस के फैलने के खतरे को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने, विचाराणाधीन कैदियों/सिद्धदोषियों की पहचान करने और उनको या तो अंतरिम जमानत पर या पैरोल पर छोड़ने को सुकर बनाने के लिए, उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) गठित की हैं, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधान सचिव (गृह/जेल), जेल महानिदेशक से मिलकर बनेगी ।

vi. मार्च, 2020 से मई, 2020 लॉकडाउन अवधि के दौरान, उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशों पर या विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से 58,797 विचाराणाधीन कैदी और 20,975 सिद्धदोष, अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़े गए थे । इसके अतिरिक्त, कोविड-19 की दूसरी लहर आने के पश्चात् (अप्रैल-मई, 2021), उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशों पर 70,382 विचाराणाधीन कैदियों और 22,211 सिद्धदोषियों को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा गया था ।

vii. 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, नालसा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विचाराणाधीन पुनर्विलोकन समिति (यूटीआरसी) की 18,582 बैठकें आयोजित की थीं, जिसके पश्चात् 28,115 अंत:वासी छोड़े गए थे ।

viii. नालसा ने, संदिग्धों और अभियुक्तों को गिरफ्तारी-पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड स्तर पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए गिरफ्तारी-पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड स्तर पर शीघ्र न्याय तक पहुंच प्रोटोकॉल जारी किया है । नालसा द्वारा जनवरी, 2020 से सितंबर, 2021 के दौरान संकलित आंकड़ों के अनुसार, 8,433 संदिग्धों/अभियुक्तों को गिरफ्तारी-पूर्व स्तर पर विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अनुसरण में पुलिस द्वारा 2,879 संदिग्धों/अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, 10,191 गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को, न्यायालयों में उन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, पुलिस स्टेशनों में सहायता उपलब्ध कराई गई थी । इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान 1,65,947 व्यक्तियों को रिमांड स्तर पर विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी और 73,452 जमानत आवेदन फाइल किए गए थे, इनमें से ऐसे 40,303 मामलों में जमानत दी गई थी ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *159

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का उपयोग

•159. श्री कुरुवा गोरांतला माधव :

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ :

• क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की न्यायिक प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने तथा न्यायिक विलंब को कम करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का उपयोग करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा ई-न्यायालय परियोजना का लगातार उन्नयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का उपयोग से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या •159 जिसका उत्तर तारीख 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : वर्तमान में वर्ष 2015 से ई-न्यायालयों का चरण-2 कार्यान्वयन के अधीन है । जबकि चरण-2 अभी चल रहा है, न्याय परिदान प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स की नई आधुनिक प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करने के लिए आवश्यकता महसूस की गई । न्यायिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के उपयोग के समन्वेषण के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स समिति का गठन किया है जिसने मुख्य रूप से न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद, विधिक अनुसंधान सहायता और प्रोसेस आटोमेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की पहचान की है ।

(ख) : ई-न्यायालय परियोजना को अद्यतन करने के लिए चल रहे मुख्य उपाय निम्नानुसार हैं :

i. वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना (डब्ल्यूएएन) के अधीन, (07.02.2022 को यथाविद्यमान) 2960 न्यायालय स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के साथ सुसज्जित किया गया है । यह सम्पूर्ण देश में डाटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आधार बनाता है ।

ii. मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई-न्यायालय सेवाओं का आधार बनाता है, प्रचलित फ्री और ओपन सोर्स साफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ।

iii. कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक नया साफ्टवेयर पैच और उपयोक्ता निर्देशिका भी मामलों को अच्छी तरह सूचीबद्ध करने में सहायता करने के लिए विकसित किया जा रहा है ।

iv. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आन-लाइन प्लेटफार्म के रूप में सृजित आदेशों, निर्णयों और मामलों का डाटाबेस है । यह देश में सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । इन कम्प्यूटरीकृत

न्यायालयों से संबंधित 19.81 करोड़ मामलों और 16.61 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मुकदमा करने वाले व्यक्ति मामले की प्रास्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं (01.02.2022 को यथाविद्यमान) । 2020 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों और सांस्थानिक मुकदमा करने वालों, जिनके अन्तर्गत स्थानीय निकाय भी हैं, को लम्बन मॉनीटरी और अनुपालन सुधारने के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंचने हेतु अनुज्ञात करने के लिए ओपन एपीआई का आरम्भ किया गया है ।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एण्ड पुल (2,00,000 एसएमएस प्रतिदिन भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स प्रतिदिन), जेएससी (न्यायिक सेवा केन्द्र) और सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं/मुकदमा करने वाले व्यक्तियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि पर समयोचित सूचना प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्म सृजित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल एप में इलैक्ट्रानिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) सृजित किया गया है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 72.20 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप सृजित की गई है (2 फरवरी, 2022 तक कुल 16,961 डाउनलोड) । अब जस्ट आईएस मोबाइल एप आईओएस में भी उपलब्ध हैं ।

vi. यातायात चालान मामलों के लिए 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 17 आभासी न्यायालय प्रचालित किए गए हैं । 17 आभासी न्यायालयों द्वारा 1.24 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए हैं और 21 लाख से अधिक (21,45,341) मामलों में 221 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना 02.02.2022 तक वसूला गया है ।

vii. भारत का उच्चतम न्यायालय (लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से 08.01.2022 तक) 1,81,909 सुनवाईयां करके वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । उच्च न्यायालयों (57,39,966 मामले) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,08,36,087 मामले) ने 30.11.2021 तक 1.65 करोड़ आभासी सुनवाईयां की हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों में वीसी सुविधा समर्थ की गई है । 14,443 न्यायालय कक्षों हेतु 2506 वीसी कैबिनों और वीसी उपकरणों के लिए निधियां जारी की गई हैं । आभासी सुनवाईयों के संवर्धन के लिए 1500 वीसी लाइसेंस

उपाप्त किए गए हैं । 1732 डाक्यूमेंट विजुअलाईजर उपाप्त करने के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

viii. अद्यतन विशेषताओं जैसे नया डैसबोर्ड, जिसके अन्तर्गत कई भागीदारों, मामला फाइल करने, वकालतनामा, अभिवचन, ई-संदाय, आवेदन और मामला पोर्टफोलियो प्रबंधन का विकल्प भी हैं, के साथ विधिक दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए नया ई-फाइलिंग सिस्टम (वर्जन 3.0) चालू किया गया है । प्रारुप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को प्रचालित किए गए हैं । 31.12.2021 तक कुल 17 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियम अंगीकृत किए हैं ।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग हेतु फीस के इलैक्ट्रानिक संदाय के लिए विकल्प अपेक्षित होता है, जिसके अन्तर्गत न्यायालय फीस, जुर्माने और शास्तियां भी हैं जो सीधे संचित निधि में संदेय होती हैं । न्यायालय फीस, जुर्माने, शास्तियों और न्यायिक निक्षेपों का ऑन-लाईन संदाय https://pay.ecourts.gov.in के माध्यम से आरम्भ किया गया है । कुल 16 उच्च न्यायालयों ने उनकी संबंधित अधिकारिताओं के भीतर ई-संदाय का कार्यान्वयन किया है । 31.12.2021 तक 23 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

x. डिजिटल खाई को पाटने के लिए सरकार ने अधिवक्ताओं और मुकदमा करने वाले व्यक्तियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं । सरकार ने ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.12.2021 तक 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 451 ई-सेवा केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं ।

xi. प्रौद्योगिकी रूप से समर्थ तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एण्ड ट्रैकिंग आफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरम्भ की गई है । इसे वर्तमान में, 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है ।

xii. एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरम्भ किया गया है जिसमें खंडपीठ, मामले के प्रकार, मामले की संख्या, वर्ष, याची/प्रत्यर्थी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय, तारीख से तारीख तक और पूरे पाठ्य से सर्च करने की विशेषताएं हैं । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं ।

xiii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से सृजित डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने तथा जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जस्टिस क्लॉक

के नाम से ज्ञात 30 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइनबोर्ड सिस्टम 20 उच्च न्यायालयों में लगाए गए हैं ।

xiv. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के प्रति वृहद रूप से जागरूकता के सृजन और उनसे परिचित कराने के लिए तथा "स्किल डिवाइड" की समस्या का समाधान करने के लिए ई-फाइलिंग पर निर्देशिका तथा "ई-फाइलिंग पर कैसे रजिस्टर करें" पर ब्रोशर अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है । ई-न्यायालय सेवाओं के नाम से ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए हैं । इन कार्यक्रमों ने 3,60,993 पणधारियों को कवर किया है जिनके अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारिवृंद, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षणकर्ता, उच्च न्यायालयों का तकनीकी कर्मचारिवृंद और अधिवक्ता हैं ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1619

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्याय का परिदान

†**1619. श्री नायब सिंह सैनी:**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यू-इंडिया 75 के लिए कार्यनीति के अंतर्गत आने वाली चुनौतियों से निपटने तथा नागरिकों को न्याय देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने न्यायपालिका के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण तथा नीति आयोग की हाल की रिपोर्टों में बताया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ऐसे विधि स्नातकों की प्रतिभा का उपयोग करने की योजना बना रही है जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है और मंत्रालय तथा न्यायपालिका में व्यावहारिक अनुभव हासिल कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा समाज में सभी को न्याय देने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : नीति आयोग ने एक दस्तावेज "स्ट्रेटजी फोर न्यू इंडिया@75" को सूत्रबद्ध किया है जो https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/Strategy for New India 2.pdf" पर पब्लिक डोमेन में है । सरकार ने अवसंरचना सुविधाएं अर्थात् न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के

अधीन न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों में सुधार करने की पहल की है । 8,758.71 करोड़ की रकम 1993-94 में स्कीम के प्रारंभ से राज्यों को जारी की है । 2014 से 31.01.2022 की अवधि के दौरान न्यायालय हालों की संख्या 15,818 से बढकर 21,376 हो गई है और आवासीय ईकाइओं की संख्या 10,211 से बढकर 18,276 हो गई है । सरकार ने 9000 करोड़ जिसमें 5307 करोड़ का केन्द्रीय शेयर शामिल है, के बजट संबंधी व्यय के साथ 31.03.2026 तक इस सीएसएस को जारी रखने का अनुमोदन भी किया है । योजना के संघटकों का विस्तार किया गया है जो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइओं के अतिरिक्त शौचालयों, डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों और अधिवक्ता हाल का संन्निर्माण भी इसके अंतर्गत हैं । 2016 से 31.01.2022 तक 36 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए हैं और 616 न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए थे, जबकि 502 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश बनाए गए थे और 42 अतिरिक्त न्यायाधीशों को नए पद दिए गए थे । एक पृथक् उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया और कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच सिलीगुड़ी में स्थापित की गई थी । सरकार ने भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम के अधीन बलात्संग के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए स्कीम का अनुमोदन किया है ।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया हैं । अन्य मुख्य पहल ई-न्यायालय मिशन परियोजना के अधीन की गई है जिसमें निम्न शामिल है :

i. वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना (डब्ल्यूएएन) के अधीन, (07.02.2022 को यथाविद्यमान) 2960 न्यायालय स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के साथ सुसज्जित किया गया है । यह सम्पूर्ण देश में डाटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आधार बनाता है ।

ii. मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई-न्यायालय सेवाओं का आधार बनाता है, प्रचलित फ्री और ओपन सोर्स साफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ।

कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक नया साफ्टवेयर पैच और उपयोक्ता निर्देशिका भी मामलों को अच्छी तरह सूचीबद्ध करने में सहायता करने के लिए विकसित किया जा रहा है ।

iii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आन-लाइन प्लेटफार्म के रूप में सृजित आदेशों, निर्णयों और मामलों का डाटाबेस है । यह देश में सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 19.81 करोड़ मामलों और 16.61 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मुकदमा करने वाले व्यक्ति मामले की प्रास्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं (01.02.2022 को यथाविद्यमान) । 2020 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों और सांस्थानिक मुकदमा करने वालों, जिनके अन्तर्गत स्थानीय निकाय भी हैं, को लम्बन मॉनीटरी और अनुपालन सुधारने के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंचने हेतु अनुज्ञात करने के लिए ओपन एपीआई का आरम्भ किया गया है ।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एण्ड पुल (2,00,000 एसएमएस प्रतिदिन भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स प्रतिदिन), जेएससी (न्यायिक सेवा केन्द्र) और सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं/मुकदमा करने वाले व्यक्तियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि पर समयोचित सूचना प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्म सृजित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल एप में इलैक्ट्रानिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) सृजित किया गया है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 72.20 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप सृजित की गई है (2 फरवरी, 2022 तक कुल 16,961 डाउनलोड) । अब जस्ट आईएस मोबाइल एप आईओएस में भी उपलब्ध हैं ।

v. यातायात चालान मामलों के लिए 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 17 आभासी न्यायालय प्रचालित किए गए हैं । 17 आभासी न्यायालयों द्वारा 1.24 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए हैं और 21 लाख से अधिक (21,45,341) मामलों में 221 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना 02.02.2022 तक वसूला गया है ।

vi. भारत का उच्चतम न्यायालय (लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से 08.01.2022 तक) 1,81,909 सुनवाईयां करके वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । उच्च न्यायालयों (57,39,966 मामले) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,08,36,087 मामले) ने 30.11.2021 तक 1.65 करोड़ आभासी सुनवाईयां की हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों में वीसी सुविधा समर्थ की गई है। 14,443 न्यायालय कक्षों हेतु 2506 वीसी कैबिनों और वीसी उपकरणों के लिए निधियां जारी की गई हैं । आभासी सुनवाईयों के संवर्धन के लिए 1500 वीसी लाइसेंस उपाप्त किए गए हैं । 1732 डाक्यूमेंट विजुअलाईजर उपाप्त करने के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

vii. अद्यतन विशेषताओं जैसे नया डैसबोर्ड, जिसके अन्तर्गत कई भागीदारों, मामला फाइल करने, वकालतनामा, अभिवचन, ई-संदाय, आवेदन और मामला पोर्टफोलियो प्रबंधन का विकल्प भी हैं, के साथ विधिक दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए नया ई-फाइलिंग सिस्टम (वर्जन 3.0) चालू किया गया है । प्रारुप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को प्रचालित किए गए हैं । 31.12.2021 तक कुल 17 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियम अंगीकृत किए हैं ।

viii. मामलों की ई-फाइलिंग हेतु फीस के इलैक्ट्रानिक संदाय के लिए विकल्प अपेक्षित होता है, जिसके अन्तर्गत न्यायालय फीस, जुर्माने और शास्तियां भी हैं जो सीधे संचित निधि में संदेय होती हैं । न्यायालय फीस, जुर्माने, शास्तियों और न्यायिक निक्षेपों का ऑन-लाईन संदाय https://pay.ecourts.gov.in के माध्यम से आरम्भ किया गया है । कुल 16 उच्च न्यायालयों ने उनकी संबंधित अधिकारिताओं के भीतर ई-संदाय का कार्यान्वयन किया है । 31.12.2021 तक 23 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

ix. डिजिटल खाई को पाटने के लिए सरकार ने अधिवक्ताओं और मुकदमा करने वाले व्यक्तियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं । सरकार ने ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.12.2021 तक 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 451 ई-सेवा केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं ।

x. प्रौद्योगिकी रूप से समर्थ तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग आफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरम्भ की गई है । इसे वर्तमान में, 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है ।

xi. एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरम्भ किया गया है जिसमें खंडपीठ, मामले के प्रकार, मामले की संख्या, वर्ष, याची/प्रत्यर्थी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय, तारीख से तारीख तक और पूरे पाठ्य से सर्च करने की विशेषताएं हैं । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं ।

xii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से सृजित डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने तथा जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जस्टिस क्लॉक के नाम से ज्ञात 30 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइनबोर्ड सिस्टम 20 उच्च न्यायालयों में लगाए गए हैं ।

xiii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के प्रति वृहद रूप से जागरूकता के सृजन और उनसे परिचित कराने के लिए तथा "स्किल डिवाइड" की समस्या का समाधान करने के लिए ई-फाइलिंग पर निर्देशिका तथा "ई-फाइलिंग पर कैसे रजिस्टर करें" पर ब्रोशर अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है । ई-न्यायालय सेवाओं के नाम से ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए हैं । इन कार्यक्रमों ने 3,60,993 पणधारियों को कवर किया है जिनके अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारिवृंद, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षणकर्ता, उच्च न्यायालयों का तकनीकी कर्मचारिवृंद और अधिवक्ता हैं ।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने विधि विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम संचालित किया है । प्रशिक्षुता कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि विधि प्रशिक्षु प्रादेशिक फोकस के साथ विधिक संस्थानों और विधिक सेवा कार्यक्रमों का कार्य करने के विस्तृत विचार प्राप्त कर सके । यह कार्यक्रम तीन सप्ताह का कार्यक्रम है । प्रशिक्षु के लिए अपनी पंसद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) में लगभग दो सप्ताह का प्रशिक्षण अपेक्षित है । डीएलएसए में दो सप्ताह की अवधि के पश्चात् प्रशिक्षु अपने कार्य का अवलोकन करने के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में सहयुक्त हो सकेंगे। अपने प्रशिक्षुता कार्यक्रमों की अवधि के दौरान विधि विद्यार्थी केन्द्रीय कारागार या उप कारागार का भ्रमण करेंगे और कैदियों के साथ बातचीत करेंगे; पर्यवेक्षण गृह/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/मन:प्रभावी पुनर्वास केन्द्र/जिला न्यायालय जिसके अंतर्गत मैजिस्ट्रेट न्यायालय सत्र और सिविल न्यायालय तथा पुलिस स्टेशन हैं ; विधिक साक्षरता/विधिक जागरुकता कार्यक्रम में भाग लेंगे; मध्यक/विकल्पी विवाद समाधान केन्द्र और लोक अदालत आदि में मध्यकता कार्यवाहियों में भाग लेंगे । प्रशिक्षुता के सफलतापूर्वक पूरा करने पर विधि प्रशिक्षुओं को एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएंगा । इसके अतिरिक्त विभिन्न विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधिक सहायता क्लिनिक प्रचालन में है जिनमें विद्यार्थिओं को जिले के जिला विधिक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है । ऐसे क्लिनिकों जिसमें विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, के माध्यम से विधिक सहायता और जागरुकता का गांवों में संवर्धन किया जाता है ।

(ङ) : "सभी के लिए न्याय" प्रदान करने के उद्देश्य के साथ सरकार ने "डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंड़िया" (डीआईएसएचए) जिसने हाशिये पर के लिए विशिष्ट रूप से विधिक सहायता की गुणवत्ता में वृद्धि की है । डिआईएसएचए के अधीन टैली विधि ने संपूर्ण भारत में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) पर उपलब्ध टैली/वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधाओं के माध्यम से और नागरिकों की टैली विधि मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सीधे पैरा मुकदमेबाजी विधिक सलाह के लिए पैनल अधिवक्ताओं को नागरिकों से जोडा है । सोसाइटी के कमजोर वर्गों के लिए टैली विधि आउटरीच के लाभों के अधिकतम करने, विशिष्ट विधि विद्यार्थियों और साधारण विद्यार्थी नागरिकों की टैली विधि एप्लिकेशन पर स्वयंसेवक और पैरा विधिक स्वयंसेवक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए उत्साहित हो रहे हैं । 31.01.2022 तक 13.50 लाख लाभार्थियों से अधिक ने टैली विधि के अधीन सलाह प्राप्त की है । सरकार ने प्रो बोनो अधिवक्ताओं के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन नि:शुल्क विधिक सहायता उपयोग करने के लिए पात्र व्यक्तियों को जोड़ने हेतु न्याय बंधु की विधिक सशक्त पहल भी की है । 3853 प्रो बोनो अधिवक्ता और 1436 लाभार्थी रजिस्ट्रीकृत किए गए है । विधि विद्यार्थियों के बीच प्रो बोनो की संस्कृति को और अधिक मन में बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब आरंभ किया गया है जिसमें 29 विधि स्कूलों ने न्याय बंधू कार्यक्रम के अधीन आए है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) एक कानूनी निकाय है जिसने देश में सामान्य नागरिकों को

विधिक सेवा प्रदान करने को सशक्त करने और सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए है जिसमें विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आनलाइन माध्यम से आवेदन फाइल करने के लिए वेब पोर्टल का सृजन करना ; विधिक सहायता/सलाह और उनके आवेदन ट्रैक करने के लिए नागरिकों की सुविधा के लिए एड्रॉएड और आईओएस वर्जन हेतु विधिक सेवा मोबाइल ऐप जारी करना ; संदिग्ध और गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमांड स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करना और दोष-सिद्ध के लिए अपील फाइल करने हेतु विधिक सहायता का उपबंध करना आदि शामिल है ।

विधि सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 समाज के कमजोर वर्गों जिसमें अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले फायदाग्राही भी है, को यह सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क और सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराता है कि किसी नागरिक को न्याय प्रदान करने के अवसरों से आर्थिक या अन्य नि:शक्तता के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालत संचालित करना कि यह समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढावा देने के विधिक तंत्र को परिचालित करती है ।

कोविड-19 महामारी की चुनौती के सामने एनएएलएसए वर्चुअल प्लेटफार्स से लोक अदालत का आयोजन किया जो ई-लोक अदालत के रूप में ज्ञात है । पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजन की गई थी और तब से ई-लोक अदालत 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित की जा रही हैं जिसमें 01 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान 66.93 लाख मामलों पर चर्चा की गई थी और 23.47 लाख मामले निपटाए गए थे, 1.41 करोड़ से अधिक पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए थे इसके अतिरिक्त उसी अवधि के दौरान 11.72 लाख पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले राज्य लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए थे और 1.23 लाख पूर्व मुकदमेबाजी मामले स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए थे ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1661

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ

1661. डॉ. सुजय विखे पाटील :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोगों (95वें, 120वें, 125वें और 229वें) द्वारा उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की सिफारिशों के संबंध में कोई आकलन या सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्य उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ स्थापित की जा रही है। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त राज्यों को इस संबंध में अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितनी निधि जारी की गई है ; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : संविधान का अनुच्छेद 130 यह उपबंधित करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।

ग्यारहवें विधि आयोग ने वर्ष 1988 में प्रस्तुत "सुप्रीम कोर्ट-ए फ्रैश लुक" शीर्षक वाली अपनी 125वीं रिपोर्ट में, दसवें विधि आयोग द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित करने की सिफारिशों को पुन: दोहराया था अर्थात् (i) दिल्ली में संविधानिक पीठ और (ii) उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय भारत में अपील न्यायालय या फेडरल न्यायालय की पीठें । ग्यारहवें विधि आयोग ने भी अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि संवैधानिक पीठ दिल्ली में स्थापित की जानी चाहिए और चार अपील न्यायपीठें उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चैन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुम्बई में स्थापित की जानी चाहिए ।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया था जिन्होंने सूचित किया है कि मामले पर विचार करने के पश्चात् पूर्ण न्यायालय ने तारीख 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने को न्यायोचित नहीं पाया है ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्ल्यू पी (सी) संख्या 36/2016 में भारत के उच्चतम न्यायालय में अपने तारीख 13.07.2016 के अपने निर्णय में उपरोक्त उल्लिखित मामले को प्राधिकारपूर्ण निर्णय के लिए संविधानिक न्याय पीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा था । मामला उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है ।

(ख) : जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1678

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद

†1678. **श्री अशोक कुमार रावत :**

श्री अरुण कुमार सागर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या क्या है तथा इनमें से कितने पद रिक्त हैं और ये पद कितने समय से रिक्त हैं ;

(ख) अब तक न्यायाधीशों के रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इन न्यायालयों लंबित पड़े हुए मामलों की संख्या को घटाने हेतु उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों को बढ़ाने पर विचार कर रही और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण वहां मामलों की सुनवाई में विलंब हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में, तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरम्भ संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को रिक्ति होने से छह मास पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की

रिक्ति को भरने के प्रस्ताव को आरम्भ करना आवश्यक है । तथापि, इस समयसीमा का उच्च न्यायालयों द्वारा पालन अक्सर नहीं किया जाता है । 07.02.2022 तक उच्च न्यायालय-वार रिक्ति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण उपाबंध पर है ।

07.02.2022 तक उच्च न्यायालयों में 1098 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 687 न्यायाधीश पद पर हैं, न्यायाधीशों के 411 रिक्त पदों को भरा जाना है । वर्तमान में, 172 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के मध्य प्रस्संकरण के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों में शेष 239 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें प्राप्त होना बाकी है ।

यद्यपि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है इसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है, न्यायाधीशों की सेवानिवृति, त्यागपत्र और उन्नयन के कारण रिक्तियां उद्भूत होती रहती हैं । सरकार समयबद्ध रीति में रिक्ति को शीघ्रता से भरे जाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

(ग) से (घ) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 में 906 से बढ़कर 2021 में 1098 हो गई है । तथापि, यह उल्लिखित किया जा सकता है कि न्यायालयों में मामलों का लम्बित होना केवल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी के कारण नहीं है बल्कि विभिन्न कारकों के कारण है, जैसे कि (i) राज्य और केन्द्रीय विधानों की संख्या में वृद्धि होना, (ii) प्रथम अपीलों का संचित होना, (iii) कुछ उच्च न्यायालयों में साधारण सिविल अधिकारिता का जारी रहना, (iv) न्यायिककल्प अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में की जा रही अपीलें, (v) पुनरीक्षण/अपीलों की संख्या, (vi) बारम्बार होने वाले स्थगन, (vii) रिट अधिकारिता का अविवेकपूर्ण प्रयोग, (viii) मानीटर, खोज करने के लिए और सामूहिक मामलों की सुनवाई करने के लिए पर्याप्त इंतजामों का अभाव, (ix) न्यायालय अवकाश की अवधि, (x) न्यायाधीशों को प्रशासनिक प्रकृति के कार्य सौंपना, इत्यादि ।

****

उपाबंध

'उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद' के संबंध में श्री अशोक कुमार रावत और श्री अरूण कुमार सागर, संसद् (लोकसभा) के माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1678 जिसका उत्तर 11.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	07.02.2022 तक रिक्त पद
1	इलाहाबाद	67
2	आंध्र प्रदेश	17
3	बॉम्बे	34
4	कलकत्ता	33
5	छत्तीसगढ़	09
6	दिल्ली	30
7	गुवाहाटी	01
8	गुजरात	20
9	हिमाचल प्रदेश	04
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	04
11	झारखंड	05
12	कर्नाटक	17
13	केरल	08
14	मध्य प्रदेश	24
15	मद्रास	15
16	मणिपुर	01
17	मेघालय	01
18	ओडिशा	09
19	पटना	27
20	पंजाब और हरियाणा	36
21	राजस्थान	22
22	सिक्किम	0
23	तेलंगाना	23
24	त्रिपुरा	0
25	उत्तराखंड	04
	योग	411

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1683

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना की स्थिति

1683. डॉ. आलोक कुमार सुमन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने जिला गोपालगंज सहित देश के सभी जिला न्यायालयों ने न्यायालय कक्ष के आकार, बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं, प्यूरिफायर के साथ पेयजल, पुस्तकालय और शौचालय सहित न्यायिक अवसंरचना और अदालती सुविधाओं की स्थिति संबंधी आंकड़े संकलित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या देश की जिला अदालतें न्यायिक अवसंरचना और सुविधाओं की कमी की समस्या से जूझ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा न्यायपालिका हेतु अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना का विस्तार करने के उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) बिहार में आवंटित, जारी और व्यय की गई धनराशि कितनी है और राज्य को अभी कितनी धनराशि जारी की जानी शेष है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ.) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की स्थिति पर डाटा संकलित किया है जिसके अंतर्गत वकीलों और वादकारियों के लिए शौचालय और प्रतीक्षालय की कमी भी सम्मिलित है। न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार अध्यक्ष सह संरक्षक के रूप में भारत का मुख्य

न्यायमूर्ति एक शासी निकाय होगा। प्रस्ताव में अन्य मुख्य विशेषताएं यह हैं कि भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक अवसंरचना की योजना, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है, क्योंकि इस मामले पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा पर उनके विचारों के लिए वे एक महत्वपूर्ण पणधारी हैं।

जहां तक गोपालगंज जिले में न्यायिक अवसंरचना की स्थिति का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 29 पुराने और 24 नए न्यायालय कक्ष हैं। पीने के पानी और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों के साधनों को बढ़ाने के लिए, संघ सरकार वित्त निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्यवित कर रही है। यह स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। अब तक केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्कीम के अधीन 8758.70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जिसमें से 2014-15 से अब तक 5314.39 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जो इस स्कीम के अधीन कुल जारी किए जाने का लगभग 60.68 फीसदी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्कीम के लिए 770.44 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है, जिसमें से अब तक 433.45 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने कुल 9000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय के साथ 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए इस सीएसएस को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें 5307 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है।

इस योजना के अधीन, बिहार राज्य को अब तक 412.97 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में, बिहार राज्य के लिए 51.74 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तथापि, इसे राज्य सरकार के पास पड़े केंद्रीय और राज्य के हिस्से के अव्ययित शेष, पुनरीक्षित लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली दिशानिर्देशों के अनुपालन तथा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए पूर्ण कार्य योजना के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी किया जा सकता है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1695

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

ई-लोक अदालत

1695. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2020 में महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले एक और चालू वित्त वर्ष के दौरान इन अदालतों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी हां । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) के तत्वावधान में विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत को ई-लोक अदालत के नाम से जाने जाने वाले वर्चुअल प्लेटफार्म पर स्थानान्तरित कर दिया है । पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी । महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों में वर्ष 2020 के दौरान आयोजित की गई ई-लोक अदालत का विवरण उपाबंध-क में है ।

(ग) : राज्य /संघ राज्यक्षेत्र के विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित निधि लोक अदालत और ई-लोक अदालत के आयोजन में उपगत होने वाले व्यय सहित सभी गतिविधियों के लिए किया जाता है । पिछले और चालू वितीय वर्ष के दौरान क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 145 करोड़ रुपए लोक अदालत और ई-लोक अदालत सहित उनकी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए नाल्सा को आबंटित किए गए हैं ।

****

उपाबंध-क

ई-लोक अदालतें - श्री विनायक भाऊराव राऊत, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1695 जिसका उत्तर तारीख 11.02.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

वर्ष 2020 के दौरान आयोजित ई-लोक अदालतों के ब्यौरे को दर्शित करने वाला विवरण ।

क्र.सं	राज्य प्राधिकारी का नाम	ई-लोक अदालत के आयोजन की तारीख	मुकदमेबाजी पूर्व मामले		न्यायालय में लंबित मामले		कुल	
			लिए गए	निपटाए गए	लिए गए	निपटाए गए	लिए गए	निपटाए गए
1	मध्य प्रदेश	27.06.2020	0	0	94	91	94	91
2	छत्तीसगढ़	11.07.2020	0	0	5067	2270	5067	2270
3	मध्य प्रदेश	25.07.2020	2529	148	14893	2085	17422	2233
4	दिल्ली	08.08.2020	0	0	8112	5838	8112	5838
5	राजस्थान	22.08.2020	17724	4395	54366	29151	72090	33546
6	जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख	22.08.2020	502	395	5255	3878	5757	4273
7	पश्चिमी बंगाल	22.08.2020	0	0	120	59	120	59
8	मध्य प्रदेश	08.08.2020 & 29.08.2020	694	52	6122	1841	6816	1893
9	मणिपुर	02.09.2020	0	0	12	7	12	7
10	ओड़िशा	12.09.2020	3870	171	16910	2061	20780	2232
11	उत्तराखंड	12.09.2020	398	217	5067	1787	5465	2004
12	हरियाणा	18.09.2020	3755	3625	9412	4913	13167	8538
13	पश्चिमी बंगाल	19.09.2020	5577	1363	6890	5911	12467	7274
14	कर्नाटक	19.09.2020	12613	7383	218752	108555	231365	115938
15	दिल्ली	20.09.2020	0	0	14856	13491	14856	13491
16	गुजरात	26.09.2020	881	803	16169	10142	17050	10945
17	मध्य प्रदेश	26.09.2020	130	77	6445	1326	6575	1403
18	अरुणाचल प्रदेश	26.09.2020	78	13	24	11	102	24
19	झारखंड	26.09.2020	9700	9700	1648	1019	11348	10719
20	मणिपुर	29.09.2020	20	14	0	0	20	14
21	हिमाचल प्रदेश	19.09.2020, 26.09.2020 & 30.09.2020	130	59	416	244	546	303
22	मध्य प्रदेश	23 & 31.10.2020	254	32	5860	1696	6114	1728
23	झारखंड	17.10.2020	19389	19389	8716	6940	28105	26329
24	उत्तर प्रदेश	01.11.2020	0	0	5423	2763	5423	2763
25	तेलंगाना	07.11.2020	809	807	10419	9116	11228	9923
26	उत्तराखंड	07.11.2020	0	0	3161	469	3161	469
27	मध्य प्रदेश	07.11.2020	0	0	830	188	830	188
28	झारखंड	26.11.2020	36000	35115	96	18	36096	35133
29	मध्य प्रदेश	28.11.2020	54	3	1378	569	1432	572
30	पश्चिमी बंगाल	28.11.2020	1389	89	2195	1121	3584	1210

31	आंध्र प्रदेश	12.12.2020	213	37	7053	5640	7266	5677
32	बिहार	12.12.2020	57903	17296	7727	2387	65630	19683
33	चंडीगढ़	12.12.2020	0	0	70	12	70	12
34	छतीसगढ़	12.12.2020	566	55	4244	2473	4810	2528
35	दिल्ली	12.12.2020	0	0	14785	12956	14785	12956
36	गुजरात	12.12.2020	9607	1580	21569	10803	31176	12383
37	हरियाणा	12.12.2020	0	0	153	72	153	72
38	झारखंड	12.12.2020	41887	17206	12489	7504	54376	24710
39	मध्य प्रदेश	12.12.2020	0	0	970	589	970	589
40	महाराष्ट्र	12.12.2020	0	0	654	653	654	653
41	मणिपुर	12.12.2020	132	79	37	17	169	96
42	पंजाब	12.12.2020	3226	417	4495	2826	7721	3243
43	राजस्थान	12.12.2020	19001	2043	3499	523	22500	2566
44	सिक्किम	12.12.2020	11	11	0	0	11	11
45	तेलंगाना	12.12.2020	6	6	63	25	69	31
46	उत्तराखंड	12.12.2020	3000	128	341	106	3341	234
47	पश्चिमी बंगाल	12.12.2020	2036	100	164	86	2200	186
48	कर्नाटक	19.12.2020	1837	250	27026	18840	28863	19090
49	ओड़िशा	19.12.2020	6840	305	3589	892	10429	1197
	कुल		**262761**	**123363**	**537636**	**283964**	**800397**	**407327**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1710

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम

1710. श्री रघु राम कृष्ण राजू :

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी न्यायालयों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए सरकार ने अधिक महिला न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व की मांग को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के साथ उठाया है और यदि तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश में और अधिक महिलाओं को न्यायाधीशों और वकीलों के रूप में शामिल करने से न्याय परिदान प्रणाली में काफी सुधार होगा और महिलाएं कानून में एक अलग दृष्टिकोण ला सकती हैं जिससे कानूनी क्षेत्र समृद्ध होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो व्यक्ति की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से प्रस्ताव का आरंभ किया जाना अपेक्षित है । इसीलिए, सरकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक भिन्नता को सुनिश्चित करने के लिए, उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों से

अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्कों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए । संवैधानिक ढाचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबद्ध उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । अधिक महिला न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को संपूर्ण न्याय परिदान तंत्र की सामाजिक भिन्नता में शामिल किया जाना प्रत्याशित है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1717

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट

1717. श्री मारगनी भरत:

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंड विधि (संशोधन) विधेयक के अनुसार, बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए 1025 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना की जानी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा की गई सिफारिश के अनुसार, 50 प्रतिशत एफटीएससी भी स्थापित नहीं किए जाने की विफलता के क्या कारण हैं और विभिन्न राज्यों में स्थापित एफटीएससी की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या ये एफटीएससी पूर्ण न्यायिक और गैर-न्यायिक शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने दस राज्यों को विशेषकर यौन शोषण के मामलों की सुनवाई करने के लिए एफटीएससी स्थापित करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस संबंध में इन राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है और ऐसी अदालतों की स्थापना की स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसरण में न्याय विभाग ने 1023 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससीएस) जिसमें बलात्संग और पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के शीघ्र विचारण और निपटान के लिए 389 अनन्य

पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय शामिल है की स्थापना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की है । यह स्कीम संपूर्ण देश के 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अक्टूबर, 2019 से एक वर्ष के लिए आरंभ में शुरू की गई थी । सरकार ने मार्च, 2023 तक योजना को जारी रखने के लिए अतिरिक्त अनुमोदन दिया है । 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में शामिल हो गए है । पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तथा अंदमान और निकोबार द्वीप इसमें शामिल होने है । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 700 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय जिसमें 383 अनन्य पोक्सो न्यायालय शामिल हैं, प्रचालित हो रहे हैं जिन्होंने 73600 से अधिक लंबित मामलों (दिसंबर, 2021) का निपटान किया है । चिन्हित किए गए और कार्यरत विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों के ब्यौरे **उपाबंध** पर दिए गए है ।

विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्कीम के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक कार्यरत विशेष त्वरित निपटान न्यायालय के लिए एक पीठासीन अधिकारी और सात सहायक कर्मचारीवृन्द अनन्य बल्तासंग और पोक्सो अधिनियम मामलों के विचारण के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए हैं । तथापि, विशेष त्परित निपटान न्यायालयों में कर्मचारीवृन्द संख्या की रिक्ति की तारीख निश्चित रूप से उल्लिखित नहीं की गई है । उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत आकडों के अनुसार 19 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में चिन्हित किए गए विशेष त्वरित निपटान न्यायालय पुरी तरह से कार्यरत है, 8 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में भाग: कार्यरत हैं, 1 राज्य (गोवा) में चिन्हित किया गया विशेष त्वरित निपटान न्यायालय प्रचालित किया जाना है और 3 राज्य और संघ राज्यक्षेत्र योजना में अभी भी शामिल नहीं हुए हैं । विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के मुद्दे और उनके शीघ्र प्रचालन के लिए समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच बात की गई है । विधि और न्याय मंत्री ने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को एक पत्र भेजा है । इसके अतिरिक्त राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों और उच्च न्यायालयों के अधिकारियों के बीच नियमित पुनर्विलोकन बैठकें शेष विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों के प्रचालन करने के लिए समय-समय पर आयोजित की गई है ताकि न्यायपालिका पर भार को और कम किया जा सके ।

****

उपाबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1717 जिसका उत्तर तारीख 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है, के उत्तर में यथा निर्दिष्ट उपाबंध

(31.12.2021 तक) चिन्हित और कार्यरत विशेष त्वरित निटान न्यायालयों की प्रास्थिति

क्र.सं.	राजय/संघ राज्यक्षेत्र	चिन्हित विशेष त्वरित निटान न्यायालयों		कार्यरत विशेष त्वरित निटान न्यायालयों	
		ई-पोक्सो सहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालय	ई-पोक्सो (स्तंभ 3 में से)	ई-पोक्सो सहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालय	ई-पोक्सो (स्तंभ 5 में से)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18	8	10	10
2.	असम	27	15	15	15
3.	बिहार	54	30	45	45
4.	चंडीगढ़	1	0	1	0
5.	छतीसगढ़	15	11	15	11
6.	दिल्ली	16	11	16	11
7.	गोवा	2	0	0	0
8.	गुजरात	35	24	35	24
9.	हरियाणा	16	12	16	12
10.	हिमाचल प्रदेश	6	3	6	3
11.	जम्मू-कश्मीर	4	0	4	2
12.	झारखंड	22	8	22	8
13.	कर्नाटक	31	17	18	16
14.	केरल	56	14	28	0
15.	मध्य प्रदेश	67	26	67	56
16.	महाराष्ट्र	138	30	34	22
17.	मणिपुर	2	0	2	0
18.	मेघालय	5	5	5	5
19.	मिजोरम	3	1	3	1
20.	नागालैंड	1	0	1	1
21.	ओडिशा	45	22	36	15
22.	पंजाब	12	2	12	3
23.	राजस्थान	45	26	45	30
24.	तमिलनाडु	14	14	14	14
25.	तेलंगाना	36	10	25	4
26.	त्रिपुरा	3	1	3	1
27.	उत्तर प्रदेश	218	74	218	74
28.	उत्तराखंड	4	4	4	0
		स्वीकृति नहीं दी गई			
29.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0	0
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1	1	0	0
31.	पश्चिमी बंगाल	123	20	0	0
	कुल	**1023**	**389**	**700**	**383**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1721

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

ई-कोर्ट परियोजना प्रगति

+1721. **श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी :**

श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी तथा उपयोग की गई है ;

(ख) ई-कोर्ट मिशन के अंतर्गत न्यायालय द्वारा कितने न्यायालयों को डिजिटल बनाया गया है और इस परियोजना का कितने जिला न्यायालयों ने अनुपालन किया है ;

(ग) देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत कितना इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार किया गया हैं; और

(घ) डिजिटल डिवाइड के दूसरी तरफ और इंटरनेट तक पहुंच नहीं रखने वाले वादियों को न्यायालय की सेवाओं तक कुशल और समयबद्ध पहुंच प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों के एकीकृत कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य से, न्याय विभाग भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के निकट समन्वय से ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है । वर्ष

2011-2015 से परियोजना के चरण एक में, 935 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से, सरकार ने 639.41 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया है । परियोजना के चरण 2 में जो वर्ष 2015 में आरंभ हुआ है, 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से, सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में लगे हुए विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को 07.02.2022 तक 1620.72 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अब तक ई-न्यायालय के अधीन कुल 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को डिजिटाईज किया जा चुका है। न्यायालयों के आईसीटी समर्थकरण के संवर्धन के लिए, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग द्वारा ई-न्यायालय परियोजना के अधीन निम्नलिखित पहलें की गई है :

i. वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना (डब्ल्यूएएन) के अधीन, (07.02.2022 को यथाविद्यमान) 2960 न्यायालय स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के साथ सुसज्जित किया गया है ।

ii. मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई-न्यायालय सेवाओं का आधार बनाता है, प्रचलित फ्री और ओपन सोर्स साफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ।

iii. कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक नया साफ्टवेयर पैच और उपयोक्ता निर्देशिका भी मामलों को अच्छी तरह सूचीबद्ध करने में सहायता करने के लिए विकसित किया जा रहा है ।

iv. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आन-लाइन प्लेटफार्म के रूप में सृजित आदेशों, निर्णयों और मामलों का डाटाबेस है । यह देश में सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 19.81 करोड़ मामलों और 16.61 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मुकदमा करने वाले व्यक्ति मामले की प्रास्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं (01.02.2022 को यथाविद्यमान) । 2020 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों और सांस्थानिक मुकदमा करने वालों, जिनके अन्तर्गत स्थानीय निकाय भी हैं, को लम्बन मॉनीटरी और अनुपालन सुधारने के लिए एनजेडीजी डाटा

तक पहुंचने के लिए अनुज्ञात करने के लिए ओपन एपीआई का आरम्भ किया गया है ।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एण्ड पुल (2,00,000 एसएमएस प्रतिदिन भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स प्रतिदिन), जेएससी (न्यायिक सेवा केन्द्र) और सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं/मुकदमा करने वाले व्यक्तियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि पर समयोचित सूचना प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्म सृजित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल एप में इलैक्ट्रानिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) सृजित किया गया है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 72.20 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप सृजित की गई है (2 फरवरी, 2022 तक कुल 16,961 डाउनलोड) । अब जस्ट आईएस मोबाइल एप आईओएस में भी उपलब्ध हैं ।

vi. यातायात चालान मामलों के लिए 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 17 आभासी न्यायालय प्रचालित किए गए हैं । 17 आभासी न्यायालयों द्वारा 1.24 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए हैं और 21 लाख से अधिक (21,45,341) मामलों में 221.07 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना 02.02.2022 तक वसूला गया है ।

vii. भारत का उच्चतम न्यायालय (लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से 08.01.2022 तक) 1,81,909 सुनवाईयां करके वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । उच्च न्यायालयों (57, 39,966 मामले) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,08,36,087 मामले) ने 30.11.2021 तक 1.65 करोड़ आभासी सुनवाईयां की हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों में वीसी सुविधा समर्थ की गई है । 14,443 न्यायालय कक्षों हेतु 2506 वीसी कैबिनों और वीसी उपकरणों के लिए निधियां जारी की गई हैं । आभासी सुनवाईयों के संवर्धन के लिए 1500 वीसी लाइसेंस उपाप्त किए गए हैं । 1732 डाक्यूमेंट विजुअलाईजर उपाप्त करने के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

viii. अद्यतन विशेषताओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए नया ई-फाइलिंग सिस्टम (वर्जन 3.0) चालू किया गया है । प्रारुप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को प्रचालित किए

गए हैं । 31.12.2021 तक कुल 17 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियम अंगीकृत किए हैं ।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग हेतु फीस के इलैक्ट्रानिक संदाय के लिए विकल्प अपेक्षित होता है, जिसके अन्तर्गत न्यायालय फीस, जुर्माने और शास्तियां भी हैं जो सीधे संचित निधि में संदेय होती हैं । कुल 16 उच्च न्यायालयों ने उनकी संबंधित अधिकारिताओं के भीतर ई-संदाय का कार्यान्वयन किया है । 31.12.2021 तक 23 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

x. प्रौद्योगिकी रूप से समर्थ तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग आफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरम्भ की गई है । इसे वर्तमान में, 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है ।

xi. एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरम्भ किया गया है जिसमें खंडपीठ, मामले के प्रकार, मामले की संख्या, वर्ष, याची/प्रत्यर्थी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय, तारीख से तारीख तक और पूरे पाठ्य से सर्च करने की विशेषताएं हैं । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं ।

xii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से सृजित डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने तथा जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जस्टिस क्लॉक के नाम से ज्ञात 30 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइनबोर्ड सिस्टम 20 उच्च न्यायालयों में लगाए गए हैं ।

xiii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के प्रति वृहद रूप से जागरूकता के सृजन और उनसे परिचित कराने के लिए तथा "स्किल डिवाइड" की समस्या का समाधान करने के लिए ई-फाइलिंग पर निर्देशिका तथा "ई-फाइलिंग पर कैसे रजिस्टर करें" पर ब्रोशर अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है । ई-न्यायालय सेवाओं के नाम से ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए हैं । इन कार्यक्रमों ने 3,60,993 पणधारियों को कवर किया है जिनके अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारिवृंद, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षणकर्ता, उच्च न्यायालयों का तकनीकी कर्मचारिवृंद और अधिवक्ता हैं ।

इलैक्ट्रानिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एण्ड एनालिसिस लेयर (ई-ताल) पोर्टल पर प्रकाशित डाटा के अनुसार, ई-न्यायालय भारत में पिछले एक वर्ष में कुल 371 करोड़ ई-संव्यवहार के साथ सर्वोच्च 5 एमएमपी के बीच आगे चल रहा है ।

(घ) : डिजिटल खाई को पाटने के लिए सरकार ने ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 451 ई-सेवा केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं । न्यायालय परिसरों में ई-फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटर सृजित करने के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ; मुकदमा करने वाले व्यक्तियों/अधिवक्ताओं द्वारा याचिकाएं और आवेदन फाइल करने के लिए और वाद सूचियों से संबंधित न्यायिक जानकारी तथा सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं और मुकदमा करने वाले व्यक्तियों को अन्य मामला संबंधी जानकारी के प्रसार के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करने के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं । मामलों के त्वरित निपटारे के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु वाई-फाई और कम्प्यूटरों से सुसज्जित मोबाइल ई-न्यायालय उत्तराखंड और तेलंगाना में भी आरंभ किए गए हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1744
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

1744 श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज' :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की न्यायालय-वार और उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में देश के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की न्यायालय-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

2020 (02.01.2020 के अनुसार)	2021 (01.01.2021 के अनुसार)	2022 (01.01.2022 के अनुसार)
59,859	65,086	70,239

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों की कुल संख्या क्रमश: **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर दी गई है ।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध**-3 पर है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण **उपाबंध-4** पर है।

******

उपाबंध-1

न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1744, जिसका उत्तर 11.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	31.12.2019* को लंबित	31.12.2020** को लंबित	22.03.2021** को लंबित	31.01.2022** को लंबित
1.	इलाहाबाद	9,44,657	7,73,408	7,86,052	8,09,043
2.	पंजाब और हरियाणा	3,53,888	6,37,148	6,64,677	4,48,889
3.	मद्रास	2,72,722	5,80770	5,81,186	5,79,140
4.	मध्य प्रदेश	3,57,929	3,62,932	3,73,960	4,13,467
5.	आन्ध्र प्रदेश	1,93,594	2,07,762	2,10,900	2,24,459
6.	बाम्बे	3,05,962	5,59,119	5,50,048	5,72,380
7.	राजस्थान	4,59828	5,23,600	5,36,533	5,79,340
8.	कर्नाटक	2,71929	2,93,259	2,80,447	2,62,297
9.	कलकत्ता	2,28,060	2,67,431	2,71,570	2,25,807
10.	उड़ीसा	1,50562	1,72,476	1,72,038	2,01,729
11.	केरल	1,96,823	2,14,384	2,18,173	2,12,002
12.	पटना	1,72,425	1,78,835	2,00,898	2,24,072
13.	गुजरात	1,29,184	1,42,803	1,48,055	1,52,129
14.	झारखंड	85,272	88,445	86,398	86,908
15.	दिल्ली	80,950	91,195	91,195	1,01,599
16.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	71,693	63,468	61,779	48,341
17.	छत्तीसगढ़	69,316	75,836	76,839	82,376
18.	उत्तराखंड	35,407	38,676	38,676	42,511
19.	हिमाचल प्रदेश	54,452	73,862	76,926	83,199
20.	गुवाहाटी	37,243	51,901	52,482	55,927
21.	मणिपुर	2,468	4,374	4,567	4,942
22.	त्रिपुरा	2,586	2,347	2,347	1,785
23.	मेघालय	757	1,443	1,386	1,613
24.	सिक्किम	234	241	244	184
25.	तेलंगाना	205413	236852	236852	2,60,532
कुल		**46,84,354**	**56,42,567**	**57,24,228**	**56,74,671**

*डाटा स्रोत भारत का उच्चतम न्यायालय

** डाटा स्रोत एनजेडीजी पोर्टल

उपाबंध-2

न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1744 जिसका उत्तर 11.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर के लिए निर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	लंबित मामले की कुल संख्या (31/12/2019 के अनुसार)*	लंबित मामले की कुल संख्या (31/12/2020 के अनुसार) **	लंबित मामले की कुल संख्या (22.03.2021 के अनुसार)**	लंबित मामले की कुल संख्या (31.01.2022 के अनुसार)**
1	उत्तर प्रदेश	7807863	8572092	8821412	9912623
2	आन्ध्र प्रदेश	567096	635220	667016	780331
3	तेलंगाना	580193	674301	715199	812076
4	महाराष्ट्र	3821487	4516311	4678764	4927025
5	गोवा	49049	56545	57485	57526
6	दीव और दमण	5344	2777	2860	2914
7	पश्चिमी बंगाल	2048697	2380633	2434641	2614101
8	अंदमान और निकोबार	9795	0	0	0
9	छत्तीसगढ	285025	324273	347924	380784
10	दिल्ली	882366	955850	1009292	1103855
11	गुजरात	1595813	1890667	2052835	1982577
12	असम	301427	357197	374714	422544
13	नागालैंड	3361	1539	2143	2613
14	मेघालय	13673	10403	10444	14787
15	मणिपुर	6516	10794	11524	12929
16	त्रिपुरा	27491	41032	39560	36222
17	मिजोरम	6589	4699	4573	6135
18	अरुणाचल प्रदेश	10658	--	--	--
19	हिमाचल प्रदेश	293706	416564	421449	464579
20	जम्मू-कश्मीर	172769	215803	223551	249751
21	झारखंड	365642	438567	460533	501563
22	कर्नाटक	1531008	1746886	1924880	1853931
23	केरल	1614277	1798342	1885520	1963012
24	लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र	397	--	--	--
25	मध्य प्रदेश	1455435	1690053	1755712	1897219
26	तमिलनाडु	1137684	1288573	1313263	1383304
27	पुदुचेरी	30094	--	--	34254
28	ओडिशा	1433522	1382538	1412802	1529466
29	बिहार	2714344	3158070	3230617	3394905
30	पंजाब	642327	814538	852420	933806
31	हरियाणा	853375	1100904	1156771	1306494
32	चंडीगढ	62955	57418	61476	71130
33	राजस्थान	1769823	1830462	1916328	2063032
34	सिक्किम	1142	1570	1697	1942
35	उत्तराखंड	195281	260564	274913	307491
36	दादरा और नागर हवेली		3502	3378	3708
37	लद्दाख	—	749	792	928
	कुल	**32296224**	**36639436**	**38126488**	**41029557**

*डाटा स्रोत भारत का उच्चतम न्यायालय

** डाटा स्रोत एनजेडीजी पोर्टल

न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1744 जिसका उत्तर 11.02.2022 को को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर के लिए निर्दिष्ट विवरण।

01.01.2020 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या को दर्शाने वाला विवरण ।

		स्वीकृत पदसंख्या			कार्यरत पदसंख्या			रिक्तियां		
अ.	उच्चतम न्यायालय	34			33			01		
आ.	उच्च न्यायायल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	76	84	160	67	40	107	09	44	53
2	आन्ध्र प्रदेश	28	09	37	15	0	15	13	09	22
3	बाम्बे	71	23	94	55	15	70	16	08	24
4	कलकत्ता	54	18	72	22	18	40	32	0	32
5	छत्तीसगढ	17	05	22	11	04	15	06	01	07
6	दिल्ली	45	15	60	36	0	36	09	15	24
7	गुवाहाटी	18	06	24	15	06	21	03	0	03
8	गुजरात	39	13	52	27	0	27	12	13	25
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	09	01	10	01	02	03
10	जम्मू-कश्मीर	13	04	17	08	0	08	05	04	09
11	झारखंड	19	06	25	17	02	19	02	04	06
12	कर्नाटक	47	15	62	19	21	40	28	-06	22
13	केरल	35	12	47	27	05	32	08	07	15
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	31	0	31	09	13	22
15	मद्रास	56	19	75	46	09	55	10	10	20
16	मणिपुर	04	01	05	04	0	04	0	01	01
17	मेघालय	03	01	04	03	0	03	0	01	01
18	उड़ीसा	20	07	27	14	0	14	06	07	13
19	पटना	40	13	53	26	0	26	14	13	27
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	17	55	26	04	30
21	राजस्थान	38	12	50	21	0	21	17	12	29
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलंगाना	18	06	24	12	01	13	06	05	11
24	त्रिपुरा	04	0	04	03	0	03	01	0	01
25	उत्तराखंड	09	02	11	09	01	10	0	01	01
	कुल	771	308	1079	538	140	678	233	168	401

01.01.2021 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या को दर्शाने वाला विवरण ।

		स्वीकृत पदसंख्या			कार्यरत पदसंख्या			रिक्तियां		
अ.	उच्चतम न्यायालय	34			30			04		
आ.	उच्च न्यायालय	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	120	40	160	82	14	96	38	26	64
2	आन्ध्र प्रदेश	28	09	37	18	0	18	10	09	19
3	बाम्बे	71	23	94	49	15	64	22	08	30
4	कलकत्ता	54	18	72	32	02	34	22	16	38
5	छत्तीसगढ़	17	05	22	13	01	14	04	04	08
6	दिल्ली	45	15	60	30	0	30	15	15	30
7	गुवाहाटी	18	06	24	17	03	20	01	03	04
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	09	0	09	01	03	04
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	11	0	11	02	04	06
11	झारखंड	19	06	25	17	0	17	02	06	08
12	कर्नाटक	47	15	62	26	20	46	21	-05	16
13	केरल	35	12	47	30	07	37	05	05	10
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	32	0	29	11	13	24
15	मद्रास	56	19	75	52	10	62	04	09	13
16	मणिपुर	04	01	05	04	01	05	0	0	0
17	मेघालय	03	01	04	04	0	04	-01	01	0
18	उड़ीसा	20	07	27	15	0	15	05	07	12
19	पटना	40	13	53	22	0	22	18	13	31
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	42	11	53	22	10	32
21	राजस्थान	38	12	50	23	0	23	15	12	27
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलंगाना	18	06	24	14	0	14	04	06	10
24	त्रिपुरा	04	0	04	04	0	04	0	0	0
25	उत्तराखंड	09	02	11	08	01	09	01	01	02
	कुल	**815**	**264**	**1079**	**583**	**85**	**668**	**232**	**179**	**411**

01.01.2022 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत पदसंख्या			कार्यरत पदसंख्या			रिक्तियां		
अ.	उच्चतम न्यायालय	34			32			02		
आ.	उच्च न्यायायल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	120	40	160	74	19	93	46	21	67
2	आन्ध्र प्रदेश	28	09	37	20	0	20	08	09	17
3	बाम्बे	71	23	94	52	08	60	19	15	34
4	कलकत्ता	54	18	72	30	09	39	24	09	33
5	छत्तीसगढ़	17	05	22	10	03	13	07	02	09
6	दिल्ली	45	15	60	30	0	30	15	15	30
7	गुवाहाटी	18	06	24	17	06	23	01	0	01
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	07	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	08	01	09	02	02	04
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	13	0	13	0	04	04
11	झारखंड	19	06	25	19	01	20	0	05	05
12	कर्नाटक	47	15	62	39	06	45	08	09	17
13	केरल	35	12	47	27	12	39	08	0	08
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	29	0	29	11	13	24
15	मद्रास	56	19	75	45	15	60	11	04	15
16	मणिपुर	04	01	05	03	01	04	01	0	01
17	मेघालय	03	01	04	03	0	03	0	01	01
18	उड़ीसा	20	07	27	18	0	18	02	07	09
19	पटना	40	13	53	26	0	26	14	13	27
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	43	06	49	21	15	36
21	राजस्थान	38	12	50	28	0	28	10	12	22
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	19	0	19	13	10	23
24	त्रिपुरा	04	01	05	05	0	05	-01	01	0
25	उत्तराखंड	09	02	11	07	0	07	02	02	04
	कुल	**829**	**269**	**1098**	**600**	**87**	**687**	**229**	**182**	**411**

न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1744, जिसका उत्तर 11.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

01.01.2020 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृत पदसंख्या	कुल कार्यरत पदसंख्या	कुल रिक्तियाँ
1	अंडमान और निकोबार	0	13	-13
2	आंध्र प्रदेश	597	529	68
3	अरुणाचल प्रदेश	41	27	14
4	असम	441	412	29
5	बिहार	1925	1149	776
6	चंडीगढ़	30	29	1
7	छत्तीसगढ़	468	393	75
8	दादरा और नागर हवेली	3	3	0
9	दमण और दीव	4	3	1
10	दिल्ली	799	681	118
11	गोवा	50	43	7
12	गुजरात	1521	1185	336
13	हरियाणा	772	475	297
14	हिमाचल प्रदेश	175	153	22
15	जम्मू -कश्मीर	290	232	58
16	झारखंड	677	461	216
17	कर्नाटक	2703	2169	534
18	केरल	536	457	79
19	लक्षद्वीप	3	3	0
20	मध्य प्रदेश	2021	1620	401
21	महाराष्ट्र	2189	1942	247
22	मणिपुर	55	39	16
23	मेघालय	97	49	48
24	मिजोरम	64	46	18
25	नागालैंड	33	25	8
26	ओडिशा	919	770	149
27	पुदुचेरी	26	11	15
28	पंजाब	675	579	96
29	राजस्थान	1428	1120	308
30	सिक्किम	25	19	6
31	तमिलनाडु	1255	1080	175
32	तेलंगाना	413	334	79
33	त्रिपुरा	120	96	24
34	उत्तर प्रदेश	3416	2578	838
35	उत्तराखंड	294	228	66
36	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		25079	19871	5208

01.01.2021 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृत पदसंख्या	कुल कार्यरत पदसंख्या	कुल रिक्तियाँ
1	अंदमान और निकोबार	0	13	-13
2	आंध्र प्रदेश	607	510	97
3	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
4	असम	466	412	54
5	बिहार	1936	1433	503
6	चंडीगढ़	30	26	4
7	छत्तीसगढ़	480	387	93
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
9	दमण और दीव	4	4	0
10	दिल्ली	799	648	151
11	गोवा	50	40	10
12	गुजरात	1521	1152	369
13	हरियाणा	772	493	279
14	हिमाचल प्रदेश	175	161	14
15	जम्मू - कश्मीर	296	255	41
16	झारखंड	675	544	131
17	कर्नाटक	1357	1071	286
18	केरल	538	470	68
19	लद्दाख	16	8	8
20	लक्षद्वीप	3	3	0
21	मध्य प्रदेश	2021	1610	411
22	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23	मणिपुर	54	36	18
24	मेघालय	97	49	48
25	मिजोरम	64	43	21
26	नागालैंड	33	26	7
27	ओडिशा	950	756	194
28	पुदुचेरी	26	11	15
29	पंजाब	692	593	99
30	राजस्थान	1489	1292	197
31	सिक्किम	25	20	5
32	तमिलनाडु	1298	1049	249
33	तेलंगाना	474	378	96
34	त्रिपुरा	120	97	23
35	उत्तर प्रदेश	3634	2581	1053
36	उत्तराखंड	297	255	42
37	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24247**	**19318**	**4929**

01.01.2022 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियाँ
1	अंदमान और निकोबार	0	13	-13
2	आंध्र प्रदेश	607	491	116
3	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
4	असम	467	436	31
5	बिहार	1954	1394	560
6	चंडीगढ़	30	30	0
7	छत्तीसगढ	482	409	73
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
9	दमण और दीव	4	4	0
10	दिल्ली	884	692	192
11	गोवा	50	40	10
12	गुजरात	1523	1123	400
13	हरियाणा	772	482	290
14	हिमाचल प्रदेश	175	160	15
15	जम्मू - कश्मीर	300	241	59
16	झारखंड	675	523	152
17	कर्नाटक	1363	1087	276
18	केरल	569	488	81
19	लद्दाख	17	9	8
20	लक्षद्वीप	3	3	0
21	मध्य प्रदेश	2021	1552	469
22	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23	मणिपुर	59	42	17
24	मेघालय	97	49	48
25	मिजोरम	65	42	23
26	नागालैंड	34	24	10
27	ओडिशा	976	785	191
28	पुदुचेरी	26	11	15
29	पंजाब	692	607	85
30	राजस्थान	1549	1274	275
31	सिक्किम	28	20	8
32	तमिलनाडु	1316	1082	234
33	तेलंगाना	474	425	49
34	त्रिपुरा	122	97	25
35	उत्तर प्रदेश	3634	2542	1092
36	उत्तराखंड	299	271	28
37	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24515**	**19340**	**5175**

.....

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1745

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

1745. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) देश में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की इन संस्थानों को मजबूत करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन संस्थानों के कामकाज की निगरानी के लिए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, जो 9 नवम्बर, 1995 को प्रवृत्त हुआ, के प्रारम्भ का स्मरणोत्सव मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है । राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर, सम्पूर्ण देश में निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में जनता को परिचित कराने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक जागरूकता कैंप आयोजित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के बारे में जनता को जागरुक करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

वर्ष 2021 में 2 अक्तूबर से 14 नवम्बर, 2021 तक छह सप्ताह लम्बा अखिल भारतीय विधिक जागरुकता और पहुंच अभियान आरम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत

डोर-टू-डोर अभियान, विधिक जागरुकता कार्यक्रम, चलित वैनों के माध्यम से जागरुकता तथा विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से जागरुकता थी । इसके अतिरिक्त, 8 नवम्बर से 14 नवम्बर, 2021 तक 'विधिक सेवा सप्ताह' मनाया गया जिसमें 38 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में सर्वेक्षण या वार्तालाप या जागरुकता प्रदान की गई । विधिक सेवा दिवस अर्थात् 9 नवम्बर, 2021 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें विधिक सेवा मोबाइल एप्लीकेशन का आईओएस वर्जन आरम्भ किया गया तथा 10 भाषाओं में विधिक सहायता आवेदनों को फाइल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को पहुंच योग्य बनाया गया ।

(ग) : समाज के निर्धन और दुर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण/संस्थाएं स्थापित किए गए हैं :-

i. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)

ii. उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी)

iii. उच्च न्यायालय स्तर पर 39 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एचसीएलएससी)

iv. राज्य स्तर पर 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)

v. जिला स्तर पर 673 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)

vi. तालुक स्तर पर 2465 तालुक विधिक सेवा समितियां (टीएलएससी)

(घ) : सहायता अनुदान और अन्य संभार-तंत्र के रूप में सरकार विधिक सेवा प्राधिकरणों/संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सभी सहायताएं प्रदान करती है ।

(ङ) : विधिक सेवा प्राधिकरणों का निष्पादन मॉनीटर करने के लिए, नालसा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) से किसी मास विशेष में किए गए सभी क्रियाकलापों को दर्शित करने वाली मासिक क्रियाकलाप रिपोर्ट प्राप्त करता है । मासिक क्रियाकलाप रिपोर्टों के अलावा, नालसा सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और स्वयं की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जो भारत की संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1757

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामले

1757. श्री जी. एम. सिद्धेश्वर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित दीवानी और फौजदारी प्रकृति के मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त न्यायालयों में से प्रत्येक न्यायालय में पांच वर्ष से कम, पांच से दस वर्ष के बीच और दस वर्ष से अधिक तक लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु कोई कदम उठाए गए है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 70,101 है जिसमें से 55,856 सिविल मामले हैं और 14,245 दांडिक मामले हैं । राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों की कुल संख्या **उपाबंध-1** पर दी गई है ।

(ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने पांच वर्ष से कम, पांच से दस वर्ष के बीच और दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

लंबन मानदंड	लंबित मामलों की संख्या
5 वर्ष से कम	42819
5 से 10 वर्ष	17571
10 वर्ष से अधिक	9711

उच्च न्यायालयों ने पांच वर्ष से कम, पांच से दस वर्ष के बीच और दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या **उपाबंध-2** पर दी गई है ।

(ग) : न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । ऐसे कई कारक है जिनसे मामलों के निपटान में विलंब होता हैं । इनमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों के पदों का रिक्त होना, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, खोज और एकत्रण की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है । केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए और लंबित मामलों में कमी करने के लिए पूर्णत: समर्पित है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कई पहलें की हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के

विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक 8758.71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 31.01.2022 तक 21,376 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 31.01.2022 तक 18,276 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2832 न्यायालय हाल और 1,693 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना** : सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । अभी तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 98.8 प्रतिशत न्यायालय परिसरों को वॉन संयोजकता प्रदान की गई है । मामले की सूचना साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 21.01.2022 को यथाविद्यमान, वादी इन न्यायालयों से संबंधित 19.75 करोड़ मामलों तथा 16.50 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) के माध्यम से, ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा वादियों को

सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 451 ई-सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छतीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में सत्तरह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 15.01.2022 तक इन न्यायालयों ने 1.2 करोड़ मामले निपटाए तथा 212.01 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.11.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,08,36,087 मामलों में सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 57,39,966 मामलों में सुनवाइयां (कुल 1.65 करोड़) की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 08.01.2022 तक 1,81,909 सुनवाइयां कीं थी ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना** : तारीख 01.05.2014 से 31.01.2022 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 690 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 587 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या को मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
31.01.2022	24,514	19,341

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई हैं। उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए उच्चतम न्यायालय में बकाया समिति गठित की गई है । पूर्व में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण के संबंध में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित), वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल** : चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है । 31.12.2021 को यथाविद्यमान, जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 898 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान दांडिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और

पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए और 31.12.2021 तक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 62.23 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में 383 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 700 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 31.12.2021 तक 73,627 मामलों का निपटान किया है । त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम को 971.70 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश सहित कुल 1572.86 करोड़ रुपए की लागत से दो और वर्षों (2021-23) के लिए जारी रखने का अनुमोदन किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

उपाबंध-1

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 1757 जिसका उत्तर तारीख 11.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालय-वार देश में लंबित मामलों का ब्यौरा-

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों का नाम	लंबित मामलें (सिविल)	लंबित मामलें (दांडिक)	31.01.2022 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1.	इलाहाबाद	419480	389563	809043
2.	कलकत्ता	190577	35230	225807
3.	गुवाहाटी	45054	10873	55927
4.	तेलंगाना	224611	35921	260532
5.	आंध्र प्रदेश	191311	33148	224459
6.	बॉम्बे	474782	97598	572380
7.	छत्तीसगढ	52537	29839	82376
8.	दिल्ली	74376	27223	101599
9.	गुजरात	101464	50665	152129
10.	हिमाचल प्रदेश	72861	10338	83199
11.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	41472	6869	48341
12.	झारखंड	42413	44495	86908
13.	कर्नाटक	222775	39522	262297
14.	केरल	169182	42820	212002
15.	मध्य प्रदेश	256719	156748	413467
16.	मणिपुर	4434	508	4942
17.	मेघालय	1396	217	1613
18.	पंजाब और हरियाणा	283842	165047	448889
19.	राजस्थान	426537	152803	579340
20.	सिक्किम	150	34	184
21.	त्रिपुरा	1590	195	1785
22.	उत्तराखंड	24601	17910	42511
23.	मद्रास	520843	58297	579140
24.	ओडिशा	149444	52285	201729
25.	पटना	113736	110336	224072
कुल		**4106187**	**1568484**	**5674671**

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 1757 जिसका उत्तर तारीख 11.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(08.02.2022 तक)

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों का नाम	5 वर्ष से कम		5 से 10 वर्ष		10 वर्ष से अधिक	
		सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक
1	इलाहाबाद	137009	165899	104749	79265	178285	144065
2	बॉम्बे	240518	64006	106816	17558	128744	16484
3	कलकत्ता	64054	14706	47610	9937	79115	10567
4	गुवाहाटी	35994	8202	7657	2423	1397	267
5	तेलंगाना	120840	22122	64123	9517	40732	4274
6	आंध्र प्रदेश	96123	19142	57573	8859	38236	5136
7	छत्तीसगढ	40002	18412	11632	7789	1238	3706
8	दिल्ली	51279	17516	14264	5631	9048	4215
9	गुजरात	65251	31355	24672	10965	11541	8345
10	हिमाचल प्रदेश	60648	7534	9877	2509	2645	409
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	22473	4753	13030	1624	5943	512
12	झारखंड	27745	22251	9071	9569	5605	12841
13	कर्नाटक	121230	24551	53170	8213	47866	6639
14	केरल	99370	19705	53812	11691	15917	11369
15	मध्य प्रदेश	120932	70747	73239	44660	62548	41341
16	मणिपुर	3653	435	383	28	413	40
17	मेघालय	1211	214	186	2	0	1
18	पंजाब और हरियाणा	148234	93685	62725	42456	73401	29264
19	राजस्थान	281705	94303	79997	24934	66036	33864
20	सिक्किम	140	34	10	0	1	0
21	त्रिपुरा	1584	188	14	2		
22	उत्तराखंड	18420	13426	4633	3702	1592	893
23	मद्रास	307059	48815	93074	4503	118950	5205
24	ओड़िशा	89501	27523	37094	11037	24243	13187
25	पटना	79159	76380	24653	14010	10366	19603
	कुल	**2234134**	**865904**	**954064**	**330884**	**923862**	**372227**

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

.....

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1761

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक विलंब

1761. डॉ. संजय जायसवाल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी न्यायालयों में आज की तिथि तक कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) क्या सरकार देश में मामलों के लंबित होने के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक विलंब पर जुर्माना लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : देश के सभी न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	तक लंबित
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	70,239 (01.01.2022)*
2	उच्च न्यायालय	56,80,280 (08.02.2022)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,12,07,097(08.02.2022)***

स्रोत *भारत के उच्चतम न्यायालय की वैबसाइट ।

** राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

(ख) और (ग) : न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार के क्षेत्र में आता है । मामलों के लंबित होने के कई कारक हो सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के

साथ न्यायाधीशों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता और भौतिक अवसंरचना, अंतवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अनुसंधान अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित उपयोजन सम्मिलित है। तथापि, संघ सरकार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कमी के लिए प्रतिबद्ध है ।

न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यमों से लंबित और बकाया मामलों में कमी करके और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि करके तथा पालन मानक और क्षमताओं की स्थापना करके पहुंच में अभिवृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था । राष्ट्रीय मिशन मोड़ के लक्ष्यों, उद्देश्यों और रणनीति पर सलाह और कार्रवाई योजना और उसके क्रियान्वयन के लिए व्यापक सदस्यता के साथ विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद् की स्थापना की गई है । राष्ट्रीय मिशन के अधीन क्रियाकलाप अविरत प्रकृति के हैं और राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद् के समक्ष रिपोर्टें नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है ।

मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनर्रचना और मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतवर्लित है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1776

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

कार्यशील ई-न्यायालय

1776. श्री अरविंद सावंत :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार कितने ई-न्यायालय कार्यशील हैं ;

(ख) इन न्यायालयों ने अब तक कितने मामलों का निपटान किया है ;

(ग) क्या ई-न्यायालयों ने व्यक्तिगत सुनवाई के मामलों की अपेक्षा मामलों में विलंब को बढ़ाया या घटाया है तथा इससे संबंधित ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने विशेषकर भूमि विवादों के शीघ्र निपटान हेतु भूमि अभिलेखों के एकीकरण के संबंध में ई-न्यायालयों के क्या लाभ नोट किए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : चरण-1 और चरण-2 के अधीन महाराष्ट्र राज्य में ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आने वाले जिला-वार न्यायालयों की संख्या क्रमश: **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर संलग्न है।

(ख) और (ग) : एनजेडीजी डाटा के अनुसार 01.03.2020 से 08.02.2022 तक महाराष्ट्र राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 9,08,774 है जिसमें 2,25,645 सिविल मामले और 6,83,129 आपराधिक मामले सम्मिलित है। लंबित मामलों पर ई-न्यायालयों की तुलना में मामलों की भौतिक सुनवाई के प्रभाव पर कोई भी तुलनात्मक डाटा नहीं रखा गया है।

(घ) : ई-न्यायालयों के लाभ, विशेष रूप से भूमि अभिलेखों के एकीकरण के संबंध में अन्य बातों के साथ सम्मिलित है :-

- न्यायालयों के पास अधिकारों सहित भू-संदर्भित, भूकर-मानचित्र और वसीयत संबंधी डाटा के अभिलेख पर सारवान और प्रमाणिक साक्ष्य के बारे में प्रत्यक्ष सूचना होगी।
- यह सूचना न्यायालयों को विवादों की स्वीकृति के साथ-साथ निपटान का विनिश्चय करने में सहायक होती है । न्यायालय आसानी से यह जानने में समर्थ है/ होंगे कि क्या विशिष्ट संपति से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित है। भावी क्रेता भू-संपति के संबंध में विवाद की प्रास्थिति को जानने में समर्थ होंगे जो उन्हें ऐसी संपति के संव्यवहार में जोखिम कारक पर विचार करने के पश्चात् सूचनात्मक निर्णय लेने में समर्थ बनायेगा।
- इस प्रणाली से भूमि विवादों की संख्या में कमी आने की संभावना है चूंकि भावी क्रेता/विक्रेता सूचनात्मक निर्णय ले सकते है क्योंकि विधि के सभी न्यायालयों में लंबित भू-संबंधी विवादों की सूचना पहले से उपलब्ध होगी । अंततोगत्वा यह संदेहात्मक भूमि संव्यवहारों में कमी लाएगा और विवाद समावेशन तथा न्यायालयों की भीड़ को कम करने में सहायक होगा ।

****

उपाबंध-1

कार्यशील ई-न्यायालय के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1776 जिसका उत्तर 11/02/2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। ई-न्यायालय परियोजना के चरण-1 के अधीन आने वाले महाराष्ट्र राज्य के न्यायालयों का जिला-वार विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	जिला	अंतर्गत न्यायालय
1	अहमदनगर	79
2	अकोला	35
3	अमरावती	65
4	औरंगाबाद	92
5	बीड	52
6	भंडारा	29
7	बुलदाना	39
8	चंद्रपुर	39
9	धुले	29
10	दीव	2
11	गढचिरोली	17
12	गोंदिया	21
13	जलगांव	64
14	जालना	28
15	कोल्हापुर	61
16	लातूर	53
17	मोती दमन	2
18	मुंबई	225
19	नागपुर	117
20	नांदेड़	54
21	नंदुरबार	15
22	नासिक	78
23	उत्तरी गोवा	24
24	उस्मानाबाद	36
25	परभनी	52
26	पुणे	164
27	रायगढ़ – अलीबाग	36
28	रत्नागिरि	22
29	सांगली	52
30	सतारा	65
31	सिल्वासा	3
32	सिंधुदुर्ग-ओरोस	20
33	सोलापुर	66
34	दक्षिण गोवा	23
35	ठाणे	103
36	वर्धा	42
37	वाशिम	21
38	यवतमाल	53
	कुल	**1978**

उपाबंध-2

कार्यशील ई-न्यायालय के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1776 जिसका उत्तर 11/02/2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। ई-न्यायालय परियोजना के चरण II के अधीन आने वाले महाराष्ट्र राज्य के न्यायालयों का जिला-वार विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	जिला	अंतर्गत न्यायालय
1	अहमदनगर	103
2	अकोला	48
3	अमरावती	73
4	औरंगाबाद	97
5	बीड	55
6	भंडारा	28
7	बुलढाणा	51
8	चंद्रपुर	57
9	धुले	30
10	दीव	2
11	गडचिरोली	16
12	गोंदिया	23
13	जलगांव	78
14	जालना	42
15	कोल्हापुर	89
16	लातूर	61
17	मोती दमन	3
18	मुंबई	230
19	नागपुर	124
20	नांदेड़	64
21	नंदुरबारी	21
22	नासिक	89
23	उत्तरी गोवा	25
24	उस्मानाबाद	46
25	परभनी	58
26	पुणे	184
27	रायगढ़ – अलीबाग	55
28	रत्नागिरि	34
29	सांगली	66
30	सतारा	69
31	सिल्वासा	3
32	सिंधुदुर्ग-ओरोस	13
33	सोलापुर	88
34	दक्षिण गोवा	21
35	थाइन	146
36	वर्धा	45
37	वाशिम	27
38	यवतमाली	80
	कुल	**2344**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1833

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्याय मित्र

1833. सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा प्रस्तावित न्याय मित्र के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल की जिला अदालतों में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित न्याय मित्रों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या देश के विभिन्न जिला न्यायालयों में लगभग 100 न्याय मित्र नियुक्त किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्यायमित्र का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में दशकों पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना है।

(ख) : 2021-22 में पश्चिमी बंगाल के जिला न्यायालयों में दो न्यायमित्रों को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें दक्षिण 24 परगना और कलकता जिला न्यायालय में प्रत्येक में एक-एक सम्मिलित है ।

(ग) और (घ) : 2017 में न्यायमित्र कार्यक्रम के प्रारम्भ से, देशभर के विभिन्न जिला न्यायालयों में कुल 27 न्यायमित्र नियुक्त किए गए थे । इसमें 6 पश्चिमी बंगाल में, वीरभूम (1), पूर्व बर्धमान (1), कूच बिहार (1), हावड़ा (1) और उत्तर 24 परगना (2) जिला न्यायालय सम्मिलित हैं । वर्ष 2020-2021 के दौरान कोविड महामारी द्वारा न्यायालयों के बंद होने और सामाजिक दूरी बनाए रखना प्रोटोकॉल के कारण किसी न्यायमित्र की नियुक्ति नहीं की जा सकी । नियुक्त किए गए न्यायमित्र के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-क** पर है ।

****

उपाबंध-क

न्यायमित्र पर सुश्री देबाश्री चौधरी द्वारा उठाये गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1833 जिसका उत्तर 11.02.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।		
2017-2020 तक नियुक्त किए गए न्यायमित्र की अंतर्विष्ट संख्या का राज्य-वार विवरण		
क्र. सं.	राज्य	नियुक्त किए गए न्यायमित्र की संख्या
1	बिहार	1
2	महाराष्ट्र	3
3	ओडिशा	2
4	राजस्थान	9
5	उत्तर प्रदेश	6
6	पश्चिमी बंगाल	6
	कुल योग	**27**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1836

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स

1836. श्रीमती पूनम महाजन:

कुमारी राम्या हरिदास :

श्री संजय काका पाटील:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (एफटीएससी) की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने एफटीएससी की स्थापना की गई है और इनमें से कितने कार्यात्मक हैं;

(ख) क्या एफटीएससी की स्थापना में लगभग चालीस प्रतिशत की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एफटीएससी द्वारा दोषसिद्धि की दर क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने नियमित न्यायालयों की तुलना ऐसे न्यायालयों में दोषसिद्धि की दर के संदर्भ में एफटीएससी की दक्षता का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा शेष एफटीएससी की स्थापना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्याय विभाग, अक्तूबर, 2019 से 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी), जिसके अन्तर्गत 389 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय (ई-पॉक्सो) भी हैं, की स्थापना करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है ।

दिसम्बर, 2021 तक 27 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में 700 एफटीएससी (68%) प्रचालित किए गए हैं, जिनमें 383 ई-पॉक्सो न्यायालय भी हैं । उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, देश में निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार गठित और कार्यरत एफटीएससी की संख्या के साथ एफटीएससी के गठन के लिए निर्धारित लक्ष्य के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं ।

वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एनपीसी) द्वारा स्कीम का थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया गया था । नियमित न्यायालयों के मुकाबले में एफटीएससी की दोषसिद्धि की दरों का मूल्यांकन अध्ययन के निदेश का एक निबंधन था । निष्कर्षों के अनुसार यह टिप्पणी की गई कि नियमित न्यायालय मामलों, एफटीएससी मामलों और ई-पॉक्सो न्यायालय मामलों के लिए दोषसिद्धि से निपटारे की दर क्रमशः 5.54%, 7.21% और 17.64% थी ।

समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ एफटीएससी के गठन और उनके जल्द प्रचालन का मुद्दा उठाया गया है । विधि और न्याय मंत्री ने इस संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखे हैं । इसके अतिरिक्त, शेष एफटीएससी के प्रचालन के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पदधारियों तथा उच्च न्यायालयों के कृत्यकारियों के साथ नियमित पुनर्विलोकन बैठकें की जा रही हैं जिससे न्यायपालिका पर बोझ को और कम किया जा सके ।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1836 जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है, के उत्तर में यथानिर्दिष्ट उपाबंध

चिन्हित किए गए और कार्यरत एफटीएससी की प्रास्थिति (31.12.2021 को यथाविद्यमान)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चिन्हित किए गए एफटीएससी		कार्यरत एफटीएससी	
		ई-पॉक्सो सहित एफटीएससी	ई-पॉक्सो	ई-पॉक्सो सहित एफटीएससी	ई-पॉक्सो
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1	1	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	18	8	10	10
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0	0
4.	असम	27	15	15	15
5.	बिहार	54	30	45	45
6.	चंडीगढ़	1	0	1	0
7.	छत्तीसगढ़	15	11	15	11
8.	दिल्ली	16	11	16	11
9.	गोवा	2	0	0	0
10.	गुजरात	35	24	35	24
11.	हरियाणा	16	12	16	12
12.	हिमाचल प्रदेश	6	3	6	3
13.	जम्मू-कश्मीर	4	0	4	2
14.	झारखंड	22	8	22	8
15.	कर्नाटक	31	17	18	16
16.	केरल	56	14	28	0
17.	मध्य प्रदेश	67	26	67	56
18.	महाराष्ट्र	138	30	34	22
19.	मणिपुर	2	0	2	0
20.	मेघालय	5	5	5	5
21.	मिजोरम	3	1	3	1
22.	नागालैंड	1	0	1	1
23.	ओडिशा	45	22	36	15
24.	पंजाब	12	2	12	3
25.	राजस्थान	45	26	45	30
26.	तमिलनाडु	14	14	14	14
27.	तेलंगाना	36	10	25	4
28.	त्रिपुरा	3	1	3	1
29.	उत्तर प्रदेश	218	74	218	74
30.	उत्तराखंड	4	4	4	0
31.	पश्चिमी बंगाल	123	20	0	0
	योग	1023	389	700	383

****